Annexure -17

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233547
CG-DL-E-17022022-233547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
No. 93]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

सं. बी.ओ.ए./विनियम/यूजी/7 10/2021. —भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 55 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमन, 1986 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, आयोग केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:–

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ–

(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 कहा जाएगा।.

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है।

(ii) "अनुलग्नक" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न एक अनुलग्नक हों;

(iii) "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों में संलग्न एक परिशिष्ट है।

(2) यहाँ प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए परन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में सौंपे गए हैं।

3. **बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी प्रोग्राम**– आयुर्वेदिक शिक्षा मे स्नातक अर्थात् बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.) स्नातकों का निर्माण करेगा, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए

एक कुशल चिकित्सकों और सर्जनों के रूप में आयुर्वेद के क्षेत्र में समकालीन प्रगति के साथ–साथ व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के ज्ञान के साथ अष्टांग आयुर्वेद का गहन ज्ञान होगा,

4. अष्टांग आयुर्वेद–

(ए) अष्टांग आयुर्वेद का अर्थ आयुर्वेद की आठ नैदानिक विशेषताओं अर्थात् कायचिकित्सा (सामान्य/आंतरिक चिकित्सा), शल्यतंत्र (शल्य चिकित्सा), शालाक्य तंत्र (नेत्र विज्ञान, ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी और मुख–दंत चिकित्सा), कौमारभृत्य (प्रसूति और पेडियाट्रिक्स), अगदतंत्र (नैदानिक विष विज्ञान), भूत विद्या (नैदानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा), रसायन (निवारक, प्रोमोटिव, कायाकल्प चिकित्सा और जरा विज्ञान) और वाजीकरण (प्रजनन चिकित्सा और एपिजेनेटिक्स)।

(बी) खंड (ए) में उल्लेखित सभी आठ विशिष्टताओं को संबंधित विशेषताओं की सभी प्रकार की नैदानिक समस्याओं से निपटने के लिए विकसित किया गया था, अर्थात, सामान्य तौर पर नैदानिक शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया सहित उनके इटिओपैथोजेनेसिस शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बाहरी (चोट, रोगाणुओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि), आहार संबंधी कारकों, दोषपूर्ण जीवन शैली, आनुवांशिक कारणों (जन्मजात, वंशानुगत) आदि के संदर्भ में प्रेरक कारक नैदानिक अभिव्यक्ति, जैविक तरल पदार्थों की परीक्षा/विश्लेषण/स्राव/उत्सर्जन/स्कोपी सहित विभिन्न नैदानिक उपकरण (नाड़ीयंत्र), नैदानिक मानदंड, पूर्व–सूचना, निवारक, प्रोमोटिव, उपचारात्मक, प्रशामक और शल्य चिकित्सा सहित पुनर्वास प्रबंधन के संदर्भ में प्रबंधन के सिद्धांतों सहित विभिन्न नैदानिक उपकरण फार्माको–थेराप्यूटिक्स के साथ–साथ संबंधित दवाओं और योगों के फार्मास्युटिक्स, भौतिक चिकित्सा तकनीकों जैसे कि बंधन वेष्टन आदि सहित प्रासंगिक चिकित्सीय प्रक्रियाएं, प्रशासन के उनके तरीके जटिलताओं और प्रबंधन, आहार और जीवन शैली के नियम उस विशेष नैदानिक स्थिति के संबंध में सुधार/उपचार, पुनरावृत्ति के कारणों आदि के मूल्यांकन की विधियां।

(सी) खंड (ए) में उल्लेखित विशिष्टताएं उन यंत्र/ उपकरण से भी संबंधित हैं जो विभिन्न चिकित्सीय प्रक्रियाओं/शल्य–चिकित्सा और अन्य प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए अपेक्षित हैं, उनके उपयोग और अनुरक्षण के तरीकों से भी संबंधित हैं। अस्पताल वास्तुकला, भूनिर्माण, वातानुकूलन और मानव संसाधन प्रबंधन, आदर्श रोगी गुणों सहित नर्सिंग स्टाफ के गुण समेत।

(डी) चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्र चयन प्रक्रिया, चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन के तरीके, मॉडलों पर नैदानिक कौशल के प्रशिक्षण सहित शिक्षण विधियां, छात्रों, चिकित्सा चिकित्सकों के साथ–साथ शिक्षकों के लिए आचार संहिता, छात्र मूल्यांकन विधियां, डिग्री प्रदान करना, शपथ प्रशासन, चिकित्सा पंजीकरण आदि।

5. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड–

(1) आयुर्वेद शिक्षा में स्नातक में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत् होगी–

(ए) अभ्यर्थी ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी और सामान्य श्रेणी के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ लिए गए न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे:

बशर्ते कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में, उक्त परीक्षाओं में न्यूनतम योग्यता अंक पैंतालीस प्रतिशत होंगे सामान्य श्रेणी के मामले में और चालीस प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में।

(बी) किसी भी उम्मीदवार को बी.ए.एम.एस. डिग्री कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं हो गया हो:

बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु–सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जा सकती है।

(2) राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा–

(i) स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिकृत एक संस्थान इस परीक्षा को आयोजित करेगा।

(ii) एक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को उक्त शैक्षणिक वर्ग के लिए आयोजित स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत पर न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि निम्न के संबंध में –

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(ii) विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधिकार के तहत् सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत प्राप्त करने होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

बशर्ते कि जहां संबंधित श्रेणियों में उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय योग्यता – सह – प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति केंद्र सरकार के परामर्श तथा अपने विवेक से संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम करने का निर्णय ले सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(3) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता कमसूची एवं राज्यवार योग्यता कमसूची तैयार की जाएगी तथा स्नातकीय पाठ्यकम हेतु अभ्यर्थियों, संबंधित श्रेणियों के अन्तर्गत, का प्रवेश मात्र इन सूचियों से होगा।

(4) सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा के लिए 15 प्रतिशत और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए 85 प्रतिशत होगा:

बशर्ते कि,

(i) सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के सभी सम–विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय कोटा शत प्रतिशत होगा।

(ii) उन विश्वविद्यालय एवं संस्थानों में, कोटे के सम्यक न्याय हेतु जिसमें पहले से ही 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीटें जारी रहेंगी।

(iii) सरकारी और सरकारी अनुदानित संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार और राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर निर्दिष्ट विकलांगता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण.– इस खंड के प्रयोजन हेतु, परिशिष्ट "ए" में निर्दिष्ट दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित विशिष्ट विकलांगता और निर्दिष्ट विकलांगता के साथ भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार की पात्रता परिशिष्ट "बी" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। और यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहती हैं, तो सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

(5) (i) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास, सोसाइटी, अल्पसंख्यक संस्था, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी आयुर्वेद शैक्षिक संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य और संघ शासित क्षेत्र कोटा की काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या संघ शासित क्षेत्र के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या संघ शासित क्षेत्र होगा, जैसा भी मामला हो।

(ii) समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटों हेतु बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडीसिन एण्ड सर्जरी पाठ्यकम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित समस्त आयुर्वेद शिक्षण संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अन्तर्गत सीटों हेतु बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडीसिन एण्ड सर्जरी पाठ्यकम में सभी प्रवेशों के लिए काउंसलिंग केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(7) (i) विदेशी नागरिकों को छोड़कर श्रेणी (केंद्रीय कोटा, राज्य कोटा या प्रबंधन आदि) की परवाह किए बिना सभी सीटें केवल परामर्श (केंद्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से दी जानी हैं। ऊपर निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से सीधे प्रवेश को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(ii) संस्थानों को एनसीआईएसएम द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची सत्यापन के लिए समय–समय पर एनसीआईएसएम द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश के लिए कट ऑफ तिथि पर शाम 6 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी।

(iii) विश्वविद्यालय उन उम्मीदवारों (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) के प्रवेश को मंजूरी देंगे जिन्हें काउंसिलिंग (केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से आवंटित किया गया है।

(8) कोई भी उम्मीदवार जो इस विनियम के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(9) प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में कोई भी प्राधिकरण या संस्थान किसी भी उम्मीदवार को स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(10) प्राधिकरण या संस्थान जो इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तदनुसार उत्तरदायी होगा।

(11) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, की स्वीकृति होगी तथा और विनियमन 5 का उप–विनियमन (2) उक्त विदेशी छात्रों पर लागू नहीं होगा।

6. **बी.ए.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि**– बी.ए.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 5 वर्ष और 6 महीने होगी, अर्थात्–

प्रोग्राम–1
(बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की अवधि)

क्रम संख्या	बी.ए.एम.एस. का पाठ्यक्रम	अवधि
(ए)	प्रथम व्यावसायिक बी ए एम.एस.	अट्ठारह महीने
(बी)	द्वितीय व्यावसायिक बी.ए.एम.एस.	अट्ठारह महीने
(सी)	तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी ए एम एस	अट्ठारह महीने
(डी)	अनिवार्य परिश्रामीविशेखानुप्रवेश	बारह महीने

7. **प्रदान की जाने वाली उपाधि** अभ्यार्थी को सभी परीक्षाओं को पास करने और निर्धारित अवधि में विस्तारित अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने और निर्धारित अवधि में विस्तारित अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी –बी.ए.एम.एस.) की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा और डिग्री का नामकरण आयुर्वेदाचार्य (आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा मे स्नातक बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी –बी.ए.एम.एस.) होगा।

8. **शिक्षा का माध्यम**– कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम संस्कृत या हिंदी या कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी होगा: बशर्ते कि यदि कोई संस्थान विभिन्न राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश दे रहा है, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

9. **अध्ययन का माध्यम**–

(1) बी.ए.एम.एस प्रोग्राम में मुख्य प्रोग्राम और ऐच्छिक शामिल होंगे और अध्ययन के माध्यम का निम्नलिखित तरीके से पालन किया जाएगा, अर्थात् –

(ए) (i) (ए) प्रवेश के पश्चात् छात्र को संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम पर आधारित कम से कम 15 कार्यदिवसों की एक प्रस्तावना कार्यक्रम के माध्यम से बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य नये प्रवेश प्राप्त छात्रों को आयुर्वेद से परिचित कराना है तथा उन्हें उस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन करने वाले बी.ए.एम. एस. कार्यक्रम से अच्छी तरह से अवगत कराना है।

(बी) प्रस्तावना कार्यक्रम के दौरान, आयुर्वेद के विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में यथा निर्धारित अन्य विषयों के साथ–साथ आयुर्वेद के लिए संस्कृत की बुनियादी शिक्षा और बुनियादी जीवन सहायता और प्राथमिक चिकित्सा सीखेंगे।

(सी) पन्द्रह दिन का प्रस्तावना कार्यक्रम होगा जो 90 घंटे से कम नहीं होगा और प्रत्येक दिन में 6 घंटे हो सकते हैं।

(ii) प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए कुल कार्य दिवस 320 दिनों से कम नहीं होंगे।

(iii) (ए) प्रथम व्यावसायिक सत्र के लिए कुल कार्य दिवस प्रस्तावना कार्यक्रम के लिए 15 दिनों को छोड़कर 305 दिनों से कम नहीं होंगे।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 1920 से कम नहीं होंगे।

(iv) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 2240 से कम नहीं होंगे और व्याख्यान से गैर–व्याख्यान में अध्यापन के घंटों का अनुपात 1 : 2 होगा।

(v) तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 2240 से कम नहीं होंगे और तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के दौरान, प्रातः कालीन घंटों के दौरान अस्पताल में तीन घंटे की नैदानिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और व्याख्यान से गैर–व्याख्यान घंटे में शिक्षण घंटों का अनुपात 1 : 2 होगा।

(vi) विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा अपेक्षित गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षण के घंटों में वृद्धि की जा सकती है।

स्पष्टीकरण:– इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति **"व्याख्यान"** का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण यानी, कक्षा शिक्षण और अभिव्यक्ति **"गैर–व्याख्यान"** में व्यावहारिक/नैदानिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण शामिल हैं और

प्रदर्शनात्मक शिक्षण में छोटे समूह शिक्षण/ट्यूटोरियल/सेमिनार/संगोष्ठी/असाइनमेंट/रोल प्ले/फार्मेसी प्रशिक्षण/प्रयोगशाला प्रशिक्षण/विच्छेदन/फील्ड विजिट/कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण/एकीकृत शिक्षा/समस्या आधारित शिक्षण/मामले आधारित अधिगम/प्रारंगिक नैदानिक जोखिम/साक्ष्य आधारित अधिगम आदि विषय की आवश्यकता के अनुसार और गैर–व्याख्यानों में, नैदानिक/व्यावहारिक भाग सत्तर प्रतिशत होगा। और प्रदर्शनकारी शिक्षण तीस प्रतिशत होगा।

(vii) पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कम से कम एक घंटा होगा और सभी बैचों की नियमित समय सारणी में प्रति माह एक घंटे का मनोरंजन (प्रतिभा की अभिव्यक्ति और पाठ्येतर गतिविधियों) का आबंटन किया जाना चाहिए।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र आमतौर पर अक्टूबर के महीने में शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को समय–समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अर्थात: –

तालिका–2
(प्रथम व्यावसायिक बी.ए.एम.एस. के लिए विषय)

क्रम संख्या	विषय कोड	विषय	समतुल्य शब्द
1	एवाईयूजी–एसएन एवं एआई	संकृतम एवं आयुर्वेद इतिहास	हिस्ट्री ऑफ़ आयुर्वेद
2	एवाईयूजी पीपी	पदार्थ विज्ञान	फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ़ आयुर्वेद और क्वांटम मैकेनिक्स
3	एवाईयूजी–केएस	क्रिया शारीर	ह्यूमन फिजियोलॉजी
4	एवाईयूजी–आरएस	रचनाशारीर	ह्यूमन एनाटोमी
5	एवाईयूजी–एसए 1	संहिता अध्ययन–1	स्टडी ऑफ़ आयुर्वेद क्लासिकल टेक्स्ट
6	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(सी) दूसरा व्यावसायिक सत्र आमतौर पर पहली व्यावसायिक परीक्षा पूरी होने के बाद अप्रैल के महीने में शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को समय–समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अर्थात: –

तालिका–3
(द्वितीय व्यावसायिक बीए.एम.एस के लिए विषय)

क्रम संख्या	विषय कोड	विषय	समतुल्य शब्द
1	एवाईयूजी–डीजी	द्रव्यगुण विज्ञान	फार्माकोलॉजी और मटेरिया मेडिका– हर्बल
2	एवाईयूजी–आरबी	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	मटेरिया मेडिका– मिनरल्स और मेटल्स तथा और फार्मास्युटिकल विज्ञान
3	एवाईयूजी–आरएन	रोगनिदान एवं विकृति विज्ञान	मेथड्स ऑफ़ डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक प्रोसीदूरेस एंड पैथोलॉजी
4	एवाईयूजी–एटी	अगदतंत्र एवं न्याय वैद्यक	क्लीनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल जुरीसप्रूडेंस
5	एवाईयूजी–एसए2	संहिता अध्ययन–2	स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट
6	एवाईयूजी–एस डब्लू	स्वस्थवृत एवम् योग	लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड योग
7	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(डी) तीसरा (अंतिम) व्यावसायिक सत्र सामान्यतया द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के बाद अक्टूबर के महीने में शुरू होगा और निम्नलिखित विषयों को समय–समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा, अर्थात: –

तालिका–4
(तीसरा (अंतिम) व्यावसायिक बी ए.एम.एस के लिए विषय)

क्रम संख्या	विषय कोड	विषय	समतुल्य शर्तें शब्द
1	एवाईयूजी–कैंसी	मानसरोग, रसायन और वाजीकरण सहित कायाचिकित्सा	इंटरनल मेडिसिन इन्क्लूडिंग साइकाइट्री, रेजुवेनटिवे मेडिसिन, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स
2	एवाईयूजी–पीके	पंचकर्म और उपकर्म	थेराप्यूटिक प्रोसीज़रल मैनेजमेंट
3	एवाईयूजी–एसटी	शल्य तंत्र	जनरल सर्जरी
4	एवाईयूजी–एसएल	शालाक्यतंत्र	ओफ्थल्मोलॉजी, ऑटो–राइनो–लैरिंगोलोजी
5	एवाईयूजी–पीएस	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	गायनोकॉलोजी एंड आब्सटेट्रिक्स

6	एवाईयूजी–केबी	कौमारभृत्य	पेडिऐट्रिक्स
7	एवाईयूजी–एसए3	संहिता अध्ययन–3	स्टडी ऑफ़ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट
8	एवाईयूजी–ईएम	आत्ययिक चिकित्सा	इमरजेंसी मेडिसिन
9	एवाईयूजी–आरएम	अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा–सांख्यिकी	
10	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(ई) विश्वविद्यालय, संस्था और महाविद्यालय अनुलग्नक–3 में इन विनियमों में दिए गए अनंतिम शैक्षणिक कैलेंडर के टेम्पलेट के अनुसार उस विशेष बैच का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे छात्रों को परिचालित किया जाएगा और संबंधित वेबसाइटों में उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा और तदनुसार पालन किया जाएगा।

(एफ) बी.ए.एम.एस. कार्यक्रम में निम्नलिखित विभाग और विषय शामिल होंगे, अर्थात

तालिका–5
(विभाग और विषय)

क्रम संख्या	विभाग	विषयों
01	संहिता सिद्धांत और संस्कृत	संस्कृत
		आयुर्वेद इतिहास
		पदार्थ विज्ञान
		संहिता अध्ययन–1, 2, 3
02	रचना शारीर	रचना शारीर
03	क्रिया शारीर	क्रिया शारीर
04	द्रव्यगुण	द्रव्यगुण विज्ञान
05	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना	रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना
06	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान
07	अगद तंत्र	अगद तंत्र एवं न्याय वैद्यक
08	स्वस्थवृत और योग	स्वस्थवृत एवं योग
		अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी
09	कायचिकित्सा	मानस रोग, रसायन एवं वाजीकरण सहित कायचिकित्सा
		आत्ययिक चिकित्सा
10	पंचकर्म	पंचकर्म एवं उपकर्म
11	शल्य तंत्र	शल्य तंत्र
12	शालाक्यतंत्र	शालाक्यतंत्र
13	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग
14	कौमारभृत्य	कौमारभृत्य

(जी) ऐच्छिक–

(I) आयुर्वेद के छात्रों को विभिन्न संबद्ध विषयों को शुरू करने, उजागर करने और उन्मुख करने का अवसर प्रदान करने के लिए बी.ए.एम. एस पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें बहुविषयक दृष्टिकोण को समझने और बनाने के लिए आवश्यक है।

(ii) ऐच्छिक को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक ऐच्छिक विषय 45 घंटे की अवधि का होगा और 5 भाग में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग में 9 घंटे होंगे अर्थात, 5 घंटे का शिक्षण, 2 घंटे का निर्देशित अध्ययन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन /प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक में 1–1 घंटा और कुल मिलाकर, प्रत्येक ऐच्छिक में 25 घंटे का शिक्षण, 10 घंटे का निर्देशित अध्ययन होगा तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन /प्रतिक्रिया के 5 घंटे और मूल्यांकन के 5 घंटे (प्रत्येक एक घंटे के 5 आकलन)।

स्पष्टीकरण– इस विनियमन के उद्देश्य के लिए, शिक्षण का अर्थ है वीडियो व्याख्यान, पावर पॉइंट प्रस्तुतियां, ऑडियो व्याख्यान, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग, तकनीकी छवियां, अध्ययन सामग्री आदि।

(iv) इन विनियमों के अंतर्गत ऐच्छिक के लिए अध्ययन के घंटे बी.ए.एम. एस के निर्धारित शिक्षण घंटों से अधिक हैं।

(एच) नैदानिक प्रशिक्षण–

(i) छात्र का नैदानिक प्रशिक्षण प्रथम व्यावसायिक से प्रारम्भ होगा और संबंधित संकाय और विभाग द्वारा संबंधित अस्पताल में विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर–व्याख्यान घंटे में विषय से संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा–

(ए) पहले व्यावसायिक सत्र के दौरान, संहिता एवं सिद्धांत और क्रिया शारीर विभाग द्वारा बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी) के माध्यम से नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें उपर्युक्त विभागों के शिक्षक परामर्शदाता और स्क्रीनिंग ओपीडी हैं, जिसमें छात्र प्रकृति और सार मूल्यांकन, नाड़ी का अभ्यास, दोष वृद्धि क्षय लक्षणों की रिकॉर्डिंग, ऊंचाई की माप, वजन, बॉडी मास इडेक्स (बीएमआई) आदि गतिविधियों की गणना में रहेंगे।

(ii) (ए) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण विनियमन 9 के उप–विनियमन (1) के खंड क (iV) के अनुसार होगा और नैदानिक उपस्थिति संबंधित संकाय और विभाग द्वारा रखी जाएगी।

(बी) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण निम्नानुसार विषयों की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाएगा–

(ए) (i) रोगनिदान विभाग विशेष क्लीनिक और बाह्य एवं अन्तः विभाग के माध्यम से नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिसमें रोगनिदान विभाग के शिक्षक सलाहकार होंगे,

(ii) विष चिकित्सा बाह्य एवं अन्तः विभाग और बाह्य एवं अन्तः विभाग के माध्यम से अगद तंत्र विभाग,

(iii) स्वस्थ रक्षण बाह्य एवं अन्तः विभाग व बाह्य एवं अन्तः विभाग के माध्यम से स्वस्थवृत विभाग,

(बी) इसके अतिरिक्त, द्वितीय व्यावसायिक बी.ए.एम.एस. छात्रों को प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न, दवा नाम, प्रपत्र, खुराक, औषध सेवन काल, अनुपान, सहपान, दवाओं के मिश्रण या कंपाउंडिंग की विधि आदि से परिचित होने के लिए चिकित्सा औषधालय में तैनात किया जाएगा। इसी तरह, आईपीडी पोषण मूल्यांकन में पथ्य तैयारी इकाई या आहार केंद्र में विभिन्न पथ्य या चिकित्सीय आहार तैयारी से परिचित होने के लिए।

(iii) विनियमन 9 के उप–विनियमन (1) के खंड क (अ) के अंतर्गत उल्लेखित तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के दौरान नैदानिक प्रशिक्षण (बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी)/ऑपरेशन थियेटर/लेबर रूम/पंचकर्म थेरेपी रूम) गैर–व्याख्यान/नैदानिक सत्र के अनुसार रोटेशन के आधार पर और निम्नलिखित विषयों के लिए निर्धारित नैदानिक/गैर–व्याख्यान शिक्षण घंटों के अनुसार होगा। अर्थात्–

(ए) कायचिकित्सा विभाग के अधीन कार्य कर रहे बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी) और विशेष क्लीनिक, यदि कोई हों;

(बी) पंचकर्म बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी), पंचकर्म चिकित्सा कक्ष जिसमें तैयारी कक्ष और किसी अन्य संबंधित विशेषता इकाइयों या क्लीनिक, यदि कोई हों, सहितय

(सी) शल्यतंत्र बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी), ऑपरेशन थ्रियेटर (बृहत तथा लघु), खेल चिकित्सा, मर्मचिकित्सा, भग्नचिकित्सा आदि जैसी कोई भी विशेषता इकाइयांय

(डी) शालाक्य तंत्र नेत्र, ईएनटी, दंत चिकित्सा क्लिनिक, क्रियाकल्प और कोई अन्य संबंधित विशेष क्लिनिक, यदि कोई हो;

(ई) स्त्री रोग एवम प्रसूति बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी), प्रसव कक्ष, प्रक्रियात्मक कक्ष (योनि धावन, योनि धूपन, योनि पिचु, उत्तरबस्ति आदि), गर्भसंस्कार और अन्य संबंधित विशेषता क्लीनिक, यदि कोई हो;

(एफ) कौमारभृत्य बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) और अन्तरंग रोगी विभाग (आईपीडी), बाल चिकित्सा पंचकर्म कक्ष और अन्य संबंधित विशेषता क्लीनिक, यदि कोई हो; और

(जी) संहिता और सिद्धांत मधुमेह, हृदय, मेदोरोग, स्थौल्य, अस्थि और संधि आदि जैसे विशिष्ट क्लीनिक/इकाइयां।

(iv) कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र, कौमारभृत्य, अगद तंत्र (विषचिकित्सा) और स्वस्थवृत्त और योग के अलावा अन्य विभागों से संबंधित शिक्षण स्टाफ सलग्न शिक्षण अस्पताल में नैदानिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और विशेष क्लीनिकों/इकाइयों के माध्यम से छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस तरह के विशिष्ट क्लीनिक उपर्युक्त विभागों में से किसी एक के तहत कार्य करेंगे जैसे कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्यतंत्र, शालाक्यतत्र, स्त्री एवं प्रसूति तंत्र, कौमारभृत्य, अगदतंत्र (विषचिकित्सा) और स्वस्थवृत और योग। उपरोक्त अन्य विभागों से संबंधित शिक्षक स्नातकोत्तर शोध प्रबंध, पीएचडी, विशेष प्रशिक्षण जैसे अपने अनुभवों के आधार पर विशेष क्लीनिक स्थापित कर सकते हैं। रचना, क्रिया, मूल सिद्धांत, द्रव्यगुण, रसशास्त्र और रोगनिदान नाम से कोई ओपीडी नहीं होगी।

10. भारतीय चिकित्सा पद्धति (एसएमएएसटीडी –आईएसएम) में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरण के लिए क्रियाविधि.–

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 की उपधारा (एच) के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति (एसएमएएसटीडी–आईएसएम) में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के संबंध में आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विनियमन 9 के उप–विनियमन (1) के खंड (एफ) में उल्लेखित सभी चौदह विभागों को चौदह कार्यक्षेत्र के रूप में माना जाएगा, इसके अलावा दो और कार्यक्षेत्र होंगे, शिक्षा के लिए एक और अनुसंधान के लिए एक और प्रत्येक कार्यक्षेत्र को नैदानिक उपकरणों, वैचारिक प्रगति और उभरते क्षेत्रों के प्रासंगिक और उचित प्रगति और विकास के साथ पूरण, समृद्ध और अद्यतन किया जाएगा–

(i) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, अणुजैविक विज्ञान आदि जैसे बुनियादी विज्ञानों में नवाचार या प्रगति या नए विकास;

(ii) नैदानिक प्रगति;

(iii) चिकित्सीय प्रौद्योगिकी;

(iv) शल्य चिकित्सा तकनीक या प्रौद्योगिकी;

(v) औषधियों की गुणवत्ता और मानकीकरण, औषध विकास आदि सहित औषध प्रौद्योगिकी;

(vi) शिक्षण, प्रशिक्षण विधियां और प्रौद्योगिकी;

(vii) अनुसंधान विधियां, पैरामीटर, उपकरण और प्रमापी आदि,

(viii) प्रौद्योगिकीय प्रगति, स्वचालन, सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण, प्रलेखन आदि;

(ix) जैवचिकित्सा उन्नति;

(x) चिकित्सा उपकरण;

(xi) आयुर्वेद में अनुसंधान के किसी भी अन्य नवाचार प्रगति, प्रौद्योगिकियों और विकास जो समझते मान्य करने शिक्षण, जांच निदान, उपचार, पूर्वानुमान, प्रलेखन, मानकीकरण और चालन के लिए उपयोगी हैं।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकासों के पूरक के प्रयोजनार्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा गठित बहु–विषयक कोर समिति होगी, जो उन अग्रिमों और विकासों की पहचान करती है जो किसी एक या एकाधिक कार्यक्षेत्रों में शामिल करने के लिए उपयोगी और उपयुक्त हैं।

(3) आयुर्वेद बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ समिति होगी, जो उक्त अग्रिमों और विकासों के अनुकूलन और निगमन की विधि को परिभाषित और सुझाव देगी और स्नातक या स्नाकोत्तर स्तर पर भी इसे शामिल करने के लिए निर्दिष्ट करेगी और विशेषज्ञ समिति उपयोग, मानक संचालन प्रक्रिया और आवश्यकतानुसार व्याख्या के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करेगी।

(4) कोई भी शिक्षण कर्मचारी, व्यवसायी, शोधकर्ता, छात्र और नवोन्मेषक आदि भारतीय चिकित्सा पद्धति में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकासों के पूरक के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं और ऐसे सुझावों को विचारार्थ कोर समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(5) अध्ययनों द्वारा समर्थित आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर उक्त अग्रिमों की उचित व्याख्या के साथ आधुनिक प्रगति को शामिल किया जाएगा और पाठ्यक्रम में ऐसी प्रगति को शामिल करने के 5 वर्षों के बाद उन्हें आयुर्वेद का हिस्सा माना जाएगा, जो की आयुर्वेदीय परिभाषा में वर्णित होगा ।

(6) एक बार जब कोर समिति विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर देती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुर्वेद बोर्ड को निर्देश देगा कि वह विशेषज्ञ समिति द्वारा विनिर्दिष्ट स्नातक या स्नाकोत्तर के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करे और आयोग दिशा–निर्देश जारी करेगा या यदि आवश्यक हो तो अनुशंसित आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए शिक्षकों का अभिविन्यास करेगा।

(7) आधुनिक प्रगति के साथ शिक्षण सामग्री का अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा।

(8) **एसएमएएसटीडी– आईएसएम के लिए समितियों की संरचना**–एक कोर समिति और प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ समिति होगी और ऐसी समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी–

(ए) एसएमएएसटीडी–आईएसएम कोर कमेटी (आयुर्वेद) की संरचना

एसएमएएसटीडी– आईएसएम 11 सदस्यीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, –

(i) अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड– अध्यक्ष;

(ii) आयुर्वेद के दो विशेषज्ञ (जिसमें से एक संहिता और सिद्धांत के विशेषज्ञ) – सदस्य ;

(iii) सीएसआईआर, सीसीआरएएस, आईसीएमआर, डीबीटी, टेक्नोक्रेट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग– सदस्य से प्रत्येक में एक विशेषज्ञ (या तो सेवानिवृत्त या सेवा में) है;

(iv) एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद्– सदस्य;

(v) आयुर्वेद बोर्ड के सदस्य – सदस्य सचिव।

बशर्ते कि कोर समिति अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की उचित अनुमति से विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी विशेषज्ञ का सह–चयन कर सकती है।

विचारार्थ विषय– (i) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

(ii) समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(iii) समिति ऊपर सूचीबद्ध किसी भी आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की पहचान करेगी जो आयुर्वेद के लिए प्रासंगिक और लागू हैं, या तो–

(ए) आयुर्वेद में अनुसंधान गतिविधियों को समझना, सत्यापित करना, या संचालन के लिए ;

(बी) एक विशिष्ट नैदानिक स्थिति और उपचार के निदान या पूर्व सूचना के लिए उपयोगी;

(सी) शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी;

(डी) आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपयोगी।

(iv) समिति संहिता और सिद्धांत के दो आयुर्वेद विशेषज्ञों की सहायता से आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांतों के लिए अभिज्ञात आधुनिक प्रगति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की प्रयोज्यता आयुर्वेद की समिति सुनिश्चित करेगी।

(v) आधुनिक अग्रिम या विकास की पहचान करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की पहचान करना और उनकी सिफारिश करना।

(vi) विशिष्ट ऊर्ध्वाधर में इसके उपयोग के संदर्भ में अग्रिमों या विकासों के आवेदन का सुझाव देना या अंडर–ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि में शामिल करना, जैसा भी मामला हो।

(vii) चूंकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बदलाव होते रहते हैं, कोर समिति आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुराने हिस्से की पहचान करेगी और इसे अधिक आधुनिक प्रगति के साथ बदलने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को सुझाव देगी।

(बी) विशेषज्ञ समिति (आयुर्वेद) की संरचना :–

आयुर्वेद बोर्ड द्वारा 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा–

(i) आयुर्वेद बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विषय विशेषज्ञ – अध्यक्ष;

(ii) प्रासंगिक आयुर्वेद विषयों के दो विशेषज्ञ सदस्य ;

(iii) प्रासंगिक आधुनिक विषय से एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(iv) शिक्षण प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ – सदस्य।

बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष, आयुर्वेद बोर्ड की अनुमति से चयनित क्षेत्र के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ का सह–लगन कर सकती है।

निबंधार्थ विषय–(i) समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष का होगा।

(ii) समिति आयुर्वेद के अध्यक्ष बोर्ड (बीओए) के निर्देशानुसार कई बार बैठक करेगी।

(iii) समिति कोर समिति के सुझाव पर काम करेगी और यह तय करेगी कि इसे पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, इसके शिक्षण के तरीके (यानी, व्याख्यान/गैर–व्याख्यान) और शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद् की मदद से मूल्यांकन।

(iv) समिति पहले आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को शामिल करने के लिए पहचाने गए आधुनिक अग्रिमों के एप्लिकेशन और इसकी प्रासंगिकता को समझेगी।

(v) समिति आयुर्वेद में विशेष रूप से उस ऊर्ध्वाधर के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की पहचान करेगी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करेगी और मानक संचालन प्रक्रिया या पद्धति के साथ इसके उपयोग की सिफारिश करेगी।

(vi) समिति स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शामिल की जाने वाली आधुनिक प्रगति और प्रौद्योगिकी के संबंध में कोर समिति का सुझाव देगी।

(vii) एसएमएएसटीडी–आईएसएम का कार्य प्रवाह निम्नानुसार होगा –

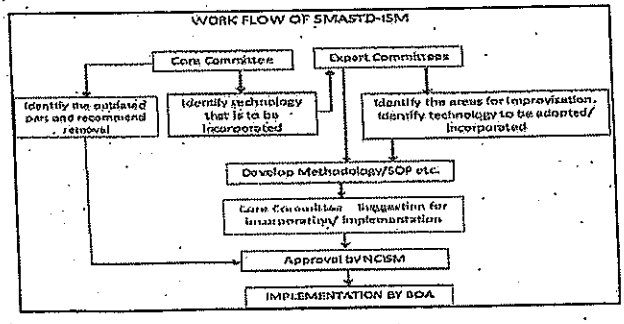

11. परीक्षा– (ए) (i) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक सत्र केअंत में होगी तथा पूर्ण की जाएगी।

(ii) वे छात्र जो, प्रथम व्यावसायिक के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हों जाते हैं, उन्हें द्वितीय व्यावसायिक सत्र की शर्तें रखते हुए तथा द्वितीय व्यावसायिक सत्र में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यवसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रथम व्यवसायिक की बाद की पूरक परीक्षा प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएगी।

(बी) (i) दूसरी व्यवसायिक परीक्षा आमतौर पर आयोजित की जाएगी और दूसरे व्यवसायिक सत्र के अंत तक पूरी की जाएगी,

(ii) द्वितीय व्यवसायिक के एक या दो विषयों में असफल होने वाले छात्र को तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक सत्र की अवधि रखने की अनुमति दी जाएगी,

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और द्वितीय व्यवसायिक की बाद की पूरक परीक्षाएं हर छह महीने में आयोजित की जाएंगी।

(सी) (i) तीसरी (अंतिम) व्यवसायिक परीक्षा आमतौर पर आयोजित की जाएगी और तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक सत्र के अंत तक पूरी की जाएगी।

(ii) तीसरी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले छात्रों को पहले और दूसरे व्यवसायिक के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा एवं 9 ऐच्छिक अर्हताओं में उत्तीर्ण होना होगा।

(iii) तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के बाद की अनुपूरक परीक्षा प्रत्येक 6 महीने में आयोजित की जाएगी।

(डी) विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो टर्म नहीं रख सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमित बैच या जूनियर बैच के साथ कक्षा में शामिल होना होगा।

(ई) अनिवार्य परिभ्रामी चिकित्सा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए पात्र बनने के लिए, सभी तीन व्यावसायिक परीक्षाएं प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर 9 ऐच्छिक में उत्तीर्ण करनी होंगी।

(एफ) थिअरी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के लिए 10 प्रतिशत अंक, लघु प्रश्नों (एसएक्यू) के लिए 40 प्रतिशत अंक और दीर्घ प्रश्नों (एलएक्यू) के लिए 40 प्रतिशत अंक होंगे और ये प्रश्न विषय के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।

(जी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय में थिआरी के लिए 50 प्रतिशत और व्यवहारिक घटक (जिसमे व्यावहारिक, नैदानिक, साक्षात्कार, आतंरिक मूल्याकन और ऐच्छिक जहा भी लागू हो) में 50 प्रतिशत होंगे

(एच) ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन–ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन कोर्स एवं परीक्षा मे उपस्थिति और मूल्यांकन से किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, छात्रों को क्रेडिट के साथ–साथ ग्रेड भी प्रदान किए जाएंगे–

(i) मॉड्यूलर कार्यक्रम के कम से कम 5 घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और एक छात्र प्रत्येक ऐच्छिक के लिए अधिकतम 5 क्रेडिट अर्जित कर सकेगा।

(ii) मूल्यांकन प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में किया जाएगा और ग्रेडिंग के लिए 5 मॉड्यूलर मूल्यांकनों के औसत पर विचार किया जाएगा अर्थात् 25 प्रतिशत तक कांस्य , 26–50 प्रतिशत तक रजत, 51–75 प्रतिशत तक स्वर्ण तथा 76 प्रतिशत और इसके ऊपर प्लैटिनम।

(iii) ऐच्छिक विषयों की संरचना निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी, अर्थात् –

तालिका– 6

(ऐच्छिक की संरचना)

प्रत्येक ऐच्छिक नौ घंटे के पांच मॉड्यूल प्रत्येक (5* 9= 45)					
क्रम संख्या	घटक	अवधि (घंटे)		क्रेडिट्स	ग्रेड
		मॉड्यूल	ऐच्छिक	प्रत्येक मॉड्यूलर कार्यक्रम के कम से कम पांच घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट। अधिकतम पांच क्रेडिट	ग्रेड सभी पांच मॉड्यूलर मूल्यांकन के औसत के आधार पर सम्मानित किया जाता है। कांस्यः <25 प्रतिशत। रजतः 26–50 प्रतिशत। स्वर्ण· 51–75 प्रतिशत। प्लैटिनमः 76 प्रतिशत और उससे अधिक।
1	शिक्षण	5	25		
2	मार्गदर्शित शिक्षा	2	10		
3	विशेषज्ञ मार्गदर्शन/ प्रतिक्रिया	1	5		
4	मूल्यांकन	1	5		

(iv) (ए) छात्र को प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए न्यूनतम 3 ऐच्छिक विषयों में अर्हता प्राप्त करनी (कोई भी ग्रेड प्राप्त करना) होगी ।

(बी) ऐच्छिक विषयों की सूची प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए तीन सेटों (ए बी और सी) के तहत उपलब्ध कराई जाएगी । अर्थात, पहले व्यावसायिक बी.ए.एम.एस के लिए एफए, एफबी और एफसी सेट, दूसरे व्यवसायिक बी.ए. एम.एस के लिए एसए, एसबी और एससी सेट, तीसरे व्यवसायिक बी.ए.एम.एस. के लिए टीए, टीबी और टीसी सेट ।

(सी) छात्र संबंधित व्यावसायिक बी.ए.एम.एस के लिए विनिर्दिष्ट प्रत्येक सेट से अपनी पसंद के अनुसार किसी एक ऐच्छिक विषय का चयन कर सकता है।

(डी) प्रत्येक क्रेडिट के लिए दो अंकों का वेटेज और प्रत्येक ऐच्छिक के लिए अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जाएंगे।

(ई) इन ऐच्छिक अंकों को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संबंधित विषयों के साक्षात्कार व्यवसायिक अंकों में जोड़ा जाएगा।

(एफ) प्रत्येक सत्र के लिए तीन अनिवार्य ऐच्छिकों के अलावा, छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त ऐच्छिकों की संख्या को चुनने और अर्हता प्राप्त करने की स्वतंत्रता है।

(जी) अंक वेटेज केवल प्रति व्यावसायिक सत्र में तीन ऐच्छिक के लिए होगा अर्थात संबंधित व्यावसायिक सत्र के प्रत्येक सेट से एक ऐच्छिक विषय।

(एच) अर्जित क्रेडिट और प्राप्त ग्रेड का उल्लेख करने वाले प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए एक अलग ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

(v) संस्था की परीक्षा शाखा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ऐच्छिकों के अंकों को संकलित करेगी और संस्था के प्रमुख के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी ताकि विश्वविद्यालय **तालिका 11, 13 और 15** में दर्शाए गए अनुसार संबंधित विषयों के साक्षात्कार में इसे जोड़ सके।

(आई) (i) 65 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इस विषय में प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी और 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इस विषय में डिस्टिंशन प्रदान किया जाएगा।

(ii) क्लास और डिस्टिंशन पूरक परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा।

(जे) (i) प्रत्येक छात्र को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए थिअरी (यानी, व्याख्यान घंटे) व्यावहारिक और नैदानिक (यानी, गैर–व्याख्यान घंटे) में प्रत्येक विषय में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

(ii) जहां संस्थान भौतिक उपस्थिति रजिस्टर रखता है, उसे अनुलग्नक–iv के अनुसार संचयी नबरिंग विधि में दर्ज किया जाएगा और पाठ्यक्रम/अवधि/पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, इसे संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(iii) अनुमोदित उपस्थिति विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

(के) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है और नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति को एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा।

(एल) इन विनियमों के बावजूद –

(i) खंड 11 (ई) उस छात्र पर लागू होगा जिसने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 के तहत दाखिला लिया था, ऐच्छिक को छोड़कर और अनुसूची–1 की धारा 3 के अनुसार (अधिसूचना संख्या 24–14/2016 (यूजी. विनियमन) विनियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित) 4 व्यावसायिकों के साथ।

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 के तहत भर्ती होने वाले छात्र, अनुसूचीआई के खंड 6 (1) (सी), 2 (सी), 3 (सी), 4 (डी), और 4 (ई) के तहत निर्धारित संबंधित व्यावसायिक परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम अवसर और वर्षों की अधिकतम अवधि (अधिसूचना संख्या 24–14/2016 (यू.जी.. विनियमन) विनियम, 2016) उस पर लागू नहीं होगा।

12 मूल्यांकन–छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार प्रारंभिक और योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा–

(ए) प्रारंभिक मूल्यांकन - छात्रों का मूल्यांकन कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने, कार्यक्रम सामग्री की समझ और उनके सीखने के परिणाम को निम्नलिखित तरीके से निर्धारित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाएगा, अर्थात् –

(i) आवधिक मूल्यांकन किसी विषय या मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के किसी विशेष भाग के शिक्षण के अंत में किया जाएगा और निम्नलिखित तालिका के अनुसार मूल्यांकन विधियों को सामग्री के लिए उपयुक्त के रूप में अपनाया जा सकता है, अर्थात् –

तालिका–7

(आवधिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन विधियाँ)

क्रम संख्या	मूल्यांकन विधि
1.	व्यावहारिक / नैदानिक प्रदर्शन
2	साक्षात्कार,एमसीक्यू, एमईक्यू (संशोधित निबंध प्रश्न / संरचित प्रश्न)
3.	ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित)
4.	सारांश लेखन (शोध पत्र / संहिता)
5.	कक्षा प्रस्तुतिकरण कार्य पुस्तिका रखरखाव
6.	समस्या आधारित असाइनमेंट
7.	उद्देश्य संरचित नैदानिक परीक्षा (ओसीईएसई), उद्देश्य संरचित व्यावहारिक परीक्षा (ओपीएसई), लघु नैदानिक मूल्यांकन अभ्यास (मिनी–सीईएक्स), प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन (डीओपी), केस आधारित चर्चा (सीबीडी)
8.	पाठ्येतर गतिविधियां, (सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जागरूकता, निगरानी गतिविधियां, खेल या अन्य गतिविधियां जो विभाग द्वारा तय की जा सकती हैं)।
9.	छोटा प्रोजेक्ट

(ii) (ए) कॉलेज और संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम के 30 प्रतिशत के लिए 6 महीने (प्रथम अवधि परीक्षा) के अंत में और पाठ्यक्रम के 40 प्रतिशत नए भाग के लिए 12 महीने (द्वितीय अवधि परीक्षा) पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।

(बी) शेष 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले पिछले 6 महीनों (तीसरे कार्यकाल) में पूरा किया जाएगा;

(iii) प्रथम अवधि परीक्षा से पहले प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम 6 आवधिक मूल्यांकन होंगे (आमतौर पर संबंधित व्यावसायिक के बी.ए.एम.एस के छठे महीने में) द्वितीय अवधि परीक्षा से पहले न्यूनतम 3 आवधिक मूल्याकन (आमतौर पर सबंधित व्यवसायिक बी.ए.एम.एस के 12 वें महीने में) और संबंधित व्यावसायिक बी.ए.एम.एस की अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षाओं (योगात्मक मूल्यांकन) से पहले न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन।

(iv) योजना और मूल्यांकन की गणना निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगी, अर्थात् . –

तालिका–8

मूल्यांकन की योजना (प्रारंभिक और योगात्मक).

क्रम संख्या	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि		
		पहला कार्यकाल (1–6 महीने)	दूसरा कार्यकाल (7–12 महीने)	तीसरा कार्यकाल (13–18 महीने)
1	पहला व्यावसायिक बी.ए.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यू ई
2	दूसरा व्यावसायिक बी.ए.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यू ई
3	तीसरा व्यावसायिक बी.ए.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यू ई
पीए: आवधिक मूल्यांकन टीटी: टर्म टेस्ट; यूई : विश्वविद्यालय परीक्षाएं				

तालिका– 9

(30 अंकों वाले विषय के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए उदाहरण)

अवधि	आवधिक मूल्यांकन					टर्म टेस्ट	अवधि मूल्यांकन	
	ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
	1 (15)	2 (15)	3 (15)	औसत (एबीसी / 3)	30में कनवर्ट किया गया	टर्म टेस्ट (30)	उप कुल	अवधि मूल्यांकन

					(डी/45*30)			
पहला							ई+एफ	ई। एफ /2
दूसरा							ई+एफ	ई+एफ /2
तीसरा						शून्य	ई	ई
अंतिम आईए	'एच' स्तंभ में दर्शाए गए अनुसार तीन अवधि मूल्यांकन चिह्नों का औसत							
कोष्ठक में अधिकतम अंक								

(बी) योगात्मक मूल्यांकन–(i) प्रत्येक व्यावसायिकों बी.ए.एम.एस के अंत में आयोजित अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षाएं योगात्मक मूल्यांकन होंगी।

(ii) दोहरी मूल्यांकन प्रणाली होगी और पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।

(iii) विश्वविद्यालय की प्रैक्टिकल/क्लीनिकल/ मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक (एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल) होंगे।

(iv) योगात्मक मूल्यांकन के परिणामों की घोषणा करते समय, आंतरिक मूल्यांकन घटक और ऐच्छिक अंकों को तालिका 11, 13 और 15 में दिए गए अंक पैटर्न के वितरण के अनुसार माना जाएगा।

13 व्यावसायिक विषय, पत्रों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंक वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होंगे, अर्थात :—

तालिका 10

(प्रथम व्यावसायिक बी.ए.एम.एंस विषयों के लिए शिक्षण घंटे)

पहला व्यावसायिक बी.ए.एम.एस कार्य दिवस = 320, शिक्षण घंटे = 1920 इंडक्शन कार्यक्रम = 15 कार्य दिवस (90 घंटे) शेष दिन/घंटे = 320–15 = 305 दिन/1830 घंटे			
विषय कोड	शिक्षण घंटों की संख्या		
	व्याख्यान	गैर–व्याख्यान	कुल
एवाईयूजी–एसएन और एआई	100	200	300
एवाईयूजी –पीवी	90	140	230
एवाईयूजी–केएस	150	250	400
एवाईयूजी–आरएस	180	320	500
एवाईयूजी–एसए1	140	260	400
कुल	660	1170	1830

तालिका–11

(प्रथम व्यावसायिक बी.ए.एम.एस विषयों के लिए पत्रों और अंक वितरण की संख्या)

क्रम संख्या	विषय कोड	पत्र	सिद्धांत	व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन			आईए	उप कुल	कुल योग
				व्यावहारिक/नैदानिक	साक्षात्कार	ऐच्छिक			
1.	एवाईयूजी–एसएन और एआई	2	200	-	75*	10(सेट–एफए)	15	100	300
2.	एवाईयूजी–पीवी	2	200	100	60	10(सेट–एफबी)	30	200	400
3.	एवाईयूजी–केएस	2	200	100	70	-	30	200	400
4.	एवाईयूजी–आरएस	2	200	100	70	-	30	200	400
5.	एवाईयूजी–एसए1	1	100	-	75	10 (सेट–एफसी)	15	100	200
कुल योग									1700

* साक्षात्कार की परीक्षा संस्कृत के लिए होगी, आयुर्वेद इतिहास के लिए नहीं (सेट–एफए, एफबी, एफसी – पहला व्यावसायिक बी.ए.एम.एस. के लिए ऐच्छिक के सेट।)

तालिका–12

(दूसरे व्यावसायिक बी.ए.एम. एस विषयों के लिए शिक्षण घंटे)

क्रम संख्या	विषय कोड	शिक्षण घंटों की संख्या		
		व्याख्यान	गैर–व्याख्यान	कुल
1	एवाईयूजी–डीजी	150	250	400
2	एवाईयूजी–आरबी	150	300	450
3	एवाईयूजी–आरएन	150	300	450
4	एवाईयूजी–ए टी	100	200	300
5	एवाईयूजी–एसए2	100	140	240
6	एवाईयूजी – एस डब्लू	150	250	400
कुल		800	1440	2240

तालिका–13

(द्वितीय व्यावसायिक बी.ए.एम. एस विषयों के लिए पेपर और अंक विवरण की संख्या)

क्रम संख्या	विषय कोड	पेपर	सिद्धांत	व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन					
				व्यावहारिक या नैदानिक	साक्षात्कार	ऐच्छिक	आई ए	उप कुल	कुल योग
1.	एवाईयूजी–डीजी	2	200	100	70	-	30	200	400
2.	एवाईयूजी–आर बी	2	200	100	70	-	30	200	400
3.	एवाईयूजी–आर एन	2	200	100	70	-	30	200	400
4.	एवाईयूजी–एटी	1	100	100	60	10 (सेट–एसए)	30	200	300
5.	एवाईयूजी –एसए2	1	100		75	10 (सेट–एसबी)	15	100	200
6.	एवाईयूजी–एस डब्लू	2	200	100	60	10 (सेट–एससी)	30	200	400
कुल									2100
(सेट–एसए, एसबी, एससी – दूसरे व्यावसायिक बी.ए.एम.एस के लिए ऐच्छिक के सेट)									

तालिका–14

(तीसरे व्यावसायिक बी.ए.एम. एस विषयों के लिए शिक्षण घंटे)

तीसरा व्यावसायिक बी.ए.एम.एस. कार्य दिवस = 320, शिक्षण घंटे = 2240				
क्रम संख्या	विषय कोड	शिक्षण घंटों की संख्या		
		व्याख्यान	गैर–व्याख्यान	कुल
1	एवाईयूजी–केसी	150	300	450
2	एवाईयूजी–पीके	100	200	300
3	एवाईयूजी–एसटी	125	250	375
4	एवाईयूजी–एसएल	100	200	300
5	एवाईयूजी–पीएस	100	175	275
6	एवाईयूजी–केबी	100	175	275
7	एवाईयूजी–एसए 3	50	100	150
8	एवाईयूजी–आरएम	25	50	75

9	एवाईयूजी–ईएम	-	40	40
	कुल	750	1490	2240

तालिका–15

(तीसरे व्यावसायिक बी.ए.एम.एस विषयों के लिए पेपर और अंक वितरण की संख्या)

क्रम संख्या	विषय कोड	पेपर	सिद्धांत	व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन					कुल योग
				व्यावहारिक या नैदानिक	साक्षात्कार	ऐच्छिक	आईए	उप कूल	
							30	200	500
1	एवाईयूजी–केसी	3	300	100	70	-	30	200	300
2	एवाईयूजी–पीके	1	100	100	70	-	30	200	400
3	एवाईयूजी–एसटी	2	200	100	70	-	30	200	400
4	एवाईयूजी–एसएल	2	200	100	70	-	30	200	400
5	एवाईयूजी–पीएस	2	200	100	60	10 (सेट टीए)	30	200	300
6	एवाईयूजी–कोबी	1	100	100	60	10 (सेट–टीबी)	15	100	200
7	एवाईयूजी–एसए3	1	100	-	75	10 (सेट टीसी)			50
8	एवाईयूजी–आरएम	1	50		-	-	.	.	2550
कुलयोग									
(सेट–टीए, टीबी, टीसी – तीसरे व्यवसायिक बी.ए.एम.एस के लिए ऐच्छिक के सेट)									

14 अध्ययन के दौरान छात्र का स्थानान्तरण .—

(1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जाएगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) स्थानान्तरण के लिए, छात्रों को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों दोनों की पारस्परिक सहमति प्राप्त करनी होगी और यह रिक्त सीट की सुनिश्चिति के पश्चात् होगा।

15 अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश– (ए) (i) अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और आमतौर पर नियमित बैच के छात्रों के लिए अप्रैल के पहले कार्य दिवस और पूरक बैच के छात्रों के लिए अक्टूबर के पहले कार्य दिवस पर शुरू होगी।

(ii) छात्र 9 ऐच्छिक सहित पहले से तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा से सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद और संबंधित विश्वविद्यालयों से अनंतिम उपाधि प्रमाण पत्र और संबंधित राज्य बोर्ड या अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के लिए परिषद से अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

(बी) प्रशिक्षणार्थी –वेतन: विशिखानुप्रवेश के दौरान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र संस्थान से संबंधित को, प्रशिक्षणार्थी –वेतन का भुगतान संबंधित सरकार के तहत अन्य चिकित्सा प्रणाली के बराबर किया जाएगा और चिकित्सा प्रणालीयों के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

(सी) विशिखानुप्रवेश के दौरान स्थानान्तरण –(i) विशिखानुप्रवेश के दौरान स्थानान्तरण कॉलेजों और विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा, उस मामले में जहां स्थानान्तरण दो अलग–अलग विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बीच है।

(ii) यदि स्थानान्तरण केवल एक ही विश्वविद्यालय के कॉलेजों के बीच है, तो दोनों कॉलेजों की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) संस्थान या कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थानान्तरण स्वीकार किया जाएगा और कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित आवेदन को अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, जैसा भी मामला हो सकता है।

(डी) अभिविन्यास कार्यक्रम –(i) प्रशिक्षणार्थी अनिवार्य रूप से विशिखानुप्रवेश के संबंध में एक अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और विशिखानुप्रवेश शुरू होने से पहले अभिविन्यास का संचालन करना शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

(ii) चिकित्सा पद्धति और व्यवसाय, चिकित्सा नैतिकता, विधि वैद्यक पहलुओं, चिकित्सा अभिलेखों, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा प्रमाणन, संचार कौशल, आचरण और शिष्टाचार, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के नियमों और विनियमों के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थी को बनाने के इरादे से अभिविन्यास आयोजित किया जाएगा।

(iii) अभिविन्यास कार्यशाला विशिखानुप्रवेश की शुरुआत में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा एक ई–लॉगबुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी अभिविन्यास के दौरान उसके द्वारा की गई गतिविधियों का दिनांक–वार विवरण दर्ज करेगा।

(iv) अभिविन्यास की अवधि सात दिनों की होगी।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित अभिविन्यास के संचालन के लिए नियमावली का पालन किया जाएगा।

(ई) विशिखानुप्रवेश के दौरान गतिविधियां– (i) प्रशिक्षणार्थी के दैनिक कार्य घंटे आठ घंटे से कम नहीं होगा प्रशिक्षणार्थी विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षणार्थी द्वारा की गई सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए एक ई–लॉगबुक बनाए रखेगा।

(ii) सामान्यतया एक वर्ष की विशिखानुप्रवेश निम्नानुसार होगी–

(ए) विकल्प I– कॉलेज से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में 6 महीने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा के किसी भी सरकारी अस्पताल या एनएबीएच (अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) मान्यता प्राप्त आयुर्वेद के निजी अस्पताल में 6 महीने के नैदानिक प्रशिक्षण में विभाजित। केवल एनएबीएच प्रत्यायन वाले ओपीडी आधारित क्लीनिक विशिखानुप्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(बी) विकल्प II– कॉलेज से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में सभी 12 महीने।

(iii) कॉलेज से संबद्ध आयुर्वेद अस्पताल में या राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा निर्धारित गैर–शिक्षण अस्पतालों में, जैसा भी मामला हो, 6 या 12 महीनों का नैदानिक प्रशिक्षण निम्नलिखित तालिका के अनुसार आयोजित किया जाएगा, अर्थात –

तालिका–16

(महाविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेद शिक्षण चिकित्सालय में विशिखानुप्रवेश अवधि का विवरण)

क्रम संख्या	विभाग	विकल्प I	विकल्प II
1	मानस रोग, रसायन और वाजीकरण, स्वस्थवृत्त और योग, आत्ययिक चिकित्सा सहित कायचिकित्सा ओपीडी, संबंधित विशेषताओं और संबंधित आईपीडी	1.5 माह	3 माह
2	ओटी, संबंधित विशेषताओं और संबंधित आईपीडी सहित शल्य ओपीडी	1 माह	2 माह
3	शालाक्य ओपीडी, ओटी, क्रियाकल्प और संबंधित आईपीडी सहित संबंधित विशेषताएं	3 सप्ताह	1.5 माह
4	ओटी और संबंधित आईपीडी सहित स्त्री रोग एवं प्रसूति ओपीडी से संबंधित विशेषताएं	3 सप्ताह	1.5 माह
5	कौमारभृत्य ओपीडी से संबंधित विशेषताएं जिनमें एनआईसीयू, बाल चिकित्सा पंचकर्म और संबंधित आईपीडी शामिल हैं	0.6 सप्ताह	1 माह
6	पंचकर्म ओपीडी से संबंधित विशेषताएं, पंचकर्म चिकित्सा कक्ष और संबंधित आईपीडी	1 माह	2 माह
7	विषचिकित्सा ओपीडी किसी भी अन्य विशिष्टताओं, संबंधित आईपीडी, स्क्रीनिंग ओपीडी, पथ्या इकाई आदि (प्रशिक्षु की पसंद के अनुसार)	0.5 माह	1 माह
8	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल इत्यादि	6 माह	....

(iv) (ए) प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी केन्द्र में कार्यरत किया जाएगा जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और इन प्रविष्टि को उन्मुख होना होगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के ज्ञान को इस संबंध में परिचित करना होगा, –

(ए) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(बी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल;

(सी) आधुनिक चिकित्सा के किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल;

(डी) किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित आयुर्वेदिक अस्पताल या औषधालय ;

(ई) केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की नैदानिक इकाई में;

(बी) खंड (ए) से (ई) में उल्लेखित उपर्युक्त सभी संस्थानों को इस तरह के प्रशिक्षण लेने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी।

(v) प्रशिक्षणार्थी कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में संबंधित विभाग में निम्नलिखित गतिविधियों को करेगा, अर्थात –

(ए) **कायचिकित्सा**— प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात् —

(i) आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सामान्य बीमारियों के मामले में, जांच, निदान और प्रबंधन जैसे सभी नियमित कार्य

(ii) हीमोग्लोबिन आंकलन, पूर्ण हीमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों की सूक्ष्म जांच, थूक परीक्षा, मल परीक्षा, आयुर्वेदिक विधि द्वारा मूत्र एवं मल परीक्षा, प्रयोगशाला आंकड़ों और नैदानिक निष्कर्षों की व्याख्या और निदान पर पहुंचने और विभिन्न रोग स्थितियों की गंभीरता की निगरानी के लिए उपयोगी सभी रोगविज्ञान संबंधी और क्ष—किरण जांच जैसे नियमित नैदानिक रोगविज्ञान संबंधी कार्य;

(iii) नियमित वार्ड प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण और रोगियों के आहार, आदतों और चिकित्सा अनुसूची के सत्यापन के संबंध में पर्यवेक्षण।

(बी) पंचकर्म— प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात् —

(i) पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्च्यात कर्म के संबंध में पंचकर्म और उपकर्म प्रक्रियाएं और तकनीकें;

(ii) प्रक्रियागत जटिलताओं का प्रबंधन, प्रक्रियाओं के लिए रोगियों की काउंसलिंग, चिकित्सा कक्षों का अनुरक्षण आदि।

(सी.) शल्य तंत्र— प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात्

(i) आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार नैदानिक परीक्षा, सामान्य शल्य चिकित्सा विकारों का निदान और प्रबंधन;

(ii) अस्थिभग्न संधिच्युति, तीव्र पेट दर्द जैसी कतिपय आपात शल्य चिकित्सा स्थितियों का प्रबंधन;

(iii) एसेप्टिक और एंटीसेप्टिक्स तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण, स्टेरलाइजेशन;

(iv) पूर्व शल्य कर्म तथा पश्च्यात शल्य कर्म प्रबंधनों में शामिल होगा;

(v) स्थानीय संज्ञाहरण तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग और संज्ञाहरण औषधियों का उपयोग;

(vi) रेडियोलॉजिकल प्रक्रियाएं, एक्स—रे की नैदानिक व्याख्या, इंट्रावीनस पायलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी और इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम;

(vii) शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और नियमित वार्ड तकनीकें जैसे—

(ए) ताजा चोटों का शमन;

(बी) घावों, जलन, अल्सर और इसी तरह की बीमारियों की ड्रेसिंग;

(सी) फोड़े का चीरा और जल निकासी;

(डी) सिस्ट का उच्छेदन;

(ई) वेनेसेक्शन;

(एफ) एनो—रेक्टल रोगों में क्षारसूत्र का प्रयोग; और

(जी) रक्तमोक्षण, अग्निकर्म, क्षारकर्म

(डी) शालक्य तंत्र— प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात्—

(i) आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार सामान्य शल्य चिकित्सा विकारों का निदान और प्रबंधन;

(ii) पूर्व शल्य कर्म तथा पश्च्यात शल्य कर्म प्रबंधनों में शामिल होगा;

(iii) कान, नाक, गले, दंत संबंधी समस्याओं, नेत्र संबंधी समस्याओं में शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं;

(iv) बाह्य रोगी विभाग में सहायक उपकरणों के साथ आंख, कान, नाक, गला और अपवर्तक त्रुटि की जांच; और

(v) बाह्य रोगी और रोगी विभाग स्तर पर सभी क्रियाकल्प, नस्य, रक्तमोक्षण, कर्णपूरण, शिरोधारा, पुटपाक, कवल, गंडूष।

(ई) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग— प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात् —

(i) प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर समस्याएं और उनके उपचार, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल;

(ii) सामान्य और असामान्य प्रसवों के प्रबंधन की जानकारी;

(iii) योनि पूर्ण, योनि पिचू, उत्तरबस्ती आदि सहित लघु और प्रमुख प्रसूति शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं।

(iv) आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा सामान्य स्त्री रोग के मामले लेने, जांच, निदान और प्रबंधन जैसे सभी नियमित कार्य;

(v) महिलाओं में सामान्य कर्करोगजन्य स्थितियों की जांच।

(एफ) **कौमारभृत्य:** प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाऐ, अर्थात्–

(i) स्वर्णप्राशन सहित प्रतिरक्षण कार्यक्रम के साथ–साथ नवजात शिशुओं की देखभाल

(ii) महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा समस्याएं और उनका आयुर्वेदिक प्रबंधन;

(iii) बच्चों में पंचकर्म।

(जी) **स्वस्थवृत्त और योग**.– प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाऐ, अर्थात्–

(i) पोषण संबंधी विकारों, प्रतिरक्षण, संक्रामक रोगों के प्रबंधन आदि सहित स्थानीय रूप से प्रचलित स्थानिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का कार्यक्रम;

(ii) परिवार कल्याण योजना कार्यक्रम;

(iii) दिनचर्या, सदवृत्त (जीवन शैली और आहार परामर्श दैनिक मौसमी दिनचर्या) सहित आहार और विहार परिकल्पना; और

(iv) अष्टांग योग का अभ्यास।

(एच) **आत्ययिकचिकित्सा (आपातकालीन या हताहत प्रबंधन)**– प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए परिचित हो सके और उसे सक्षम बना सके और हताहत और आघात के मामलों की पहचान और उनके प्राथमिक उपचार में अस्पताल के हताहत वर्ग में सक्रिय रूप से भाग ले सके और ऐसे मामलों को पहचाने गए अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया भी हो।

(vi) प्रशिक्षणार्थी अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन कार्यक्रम को पूरा करेगा।

(vii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक अस्पताल या डिस्पेंसरी के किसी भी सरकारी अस्पताल में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण– प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक अस्पताल या औषधालय के किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल में छह महीने के विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षणार्थी –

(ए) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिनचर्या और उनके रिकॉर्ड के रखरखाव से परिचित होना;

(बी) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित होना;

(सी) ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य परिचर्या विधियों के शिक्षण तथा विभिन्न प्रतिरक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना;

(डी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा या गैर–चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित कामकाज से परिचित होना और इस अवधि में हमेशा कर्मचारियों के संपर्क में रहना;

(ई) दैनिक रोगी रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, सर्जिकल रजिस्टर आदि जैसे प्रासंगिक रजिस्टर को बनाए रखने के काम से परिचित हो जाए और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी लें;

(एफ) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना।

(viii) **इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक**–(ए) एक प्रशिक्षु के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक विनिर्दिष्ट ई–लॉगबुक में दिन–प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई/सहायता/देखी गई प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड, बनाए रखे और प्रशिक्षु कार्य का एक रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी या यूनिट या विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाना है, जिसके तहत वह काम करता है।

(बी) विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में डीन/प्रिंसिपल/निदेशक को संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सभी प्रकार से पूर्ण ई–लॉगबुक का उत्पादन करने में विफलता के परिणामस्वरूप विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी भी या सभी विषयों में उसका निष्पादन रद्द हो सकता है।

(सी) संस्था पूर्ण और प्रमाणित ई–लॉगबुक की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखेगी और सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(ix) **विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन**– (ए) मूल्यांकन प्रणाली उम्मीदवार के कौशल का आकलन करेगी, जबकि एक उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करेगी कि इन प्रक्रियाओं के सफल सीखने से उम्मीदवारों को अपने वास्तविक अभ्यास में इसका संचालन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(बी) मूल्यांकन प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभाग/यक्ष द्वारा किया जाएगा और रिपोर्टों को **अनुलग्नक–1** के तहत प्रपत्र –1 में संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

(सी) सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य परिभ्रामीविशिखानुप्रवेश के एक वर्ष के पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख संबंधित तैनाती के अंत में विभिन्न विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किए गए **अनुलग्नक–1** के तहत निर्धारित प्रपत्र–1 में सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करते हैं और यदि संतोषजनक पाए जाते हैं, तो प्रशिक्षु को 7 कार्य दिवसों के भीतर **अनुलग्नक–2** के तहत प्रपत्र–2 में विशिखानुप्रवेश पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(डी) यदि किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन **अनुलग्नक–2** के तहत फॉर्म –2 के अनुसार पंद्रह अंक से कम या पचास प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर असंतोषजनक घोषित किया जाता है। इंटर्नशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या में से। अंकों की, किसी भी विभाग में मूल्यांकन में उसे संबंधित विभाग में तीस प्रतिशत की अवधि के लिए पोस्टिंग दोहराना आवश्यक होगा। इंटर्नशिप प्रशिक्षण और पोस्टिंग में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या में से।

(इ) उम्मीदवार को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष और संस्थान के प्रमुख को अलग–अलग मूल्यांकन के संचालन और अंक प्रदान करने के किसी भी पहलू में अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, और ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर, संस्था के प्रमुख संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से शिकायत का समाधान और निपटान सात कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण करेंगे।

(x) प्रशिक्षणार्थी के लिए अवकाश – (ए) एक वर्ष की अनिवार्य परिभ्रामीविशिखानुप्रवेश के दौरान, 12 अवकाश की अनुमति दी जाती है और 12 दिनों से परे किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(बी) प्रशिक्षणार्थी एक समय में किसी भी प्रकार की अवकाश के समय, पहले या बाद में 6 दिनों से अधिक समय नहीं ले सकता है।

(xi) विशिखानुप्रवेश का पूरा होना यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विशिखानुप्रवेश के दौरान विशिखानुप्रवेश शुरू होने में कोई देरी या असामान्य अवरोध, तो ऐसे मामलों में विशिखानुप्रवेश अवधि तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक बी.ए.एम.एस. की योग्यता परीक्षा पास करने की तारीख से तीन साल की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। बी.ए.एम.एस जिसमें पहले और दूसरे व्यवसायिक विषय और 9 ऐच्छिक शामिल हैं, विशिखानुप्रवेश के लिए पात्रता के रूप में निर्दिष्ट है।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, छात्र को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में संस्था के प्रमुख से पूर्व अनुमति प्राप्त होगी और यह संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह दस्तावेजों की जांच करे, और अनुमति पत्र जारी करने से पहले अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करे और विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के दौरान, छात्र सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करेगा, और उप विनियमन (ए) में उल्लेखित सभी आवश्यक दस्तावेज और उप विनियमन (डी) में उल्लेखित विशिखानुप्रवेश अभिन्यास कार्यक्रम से गुजरते हैं।

16 शिक्षा शुल्क– संबंधित शासी या शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित और निर्धारित शिक्षा शुल्क जैसा कि लागू होता है, केवल साढ़े चार वर्षों के लिए लिया जाएगा और परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसी संस्थान में विशिखानुप्रवेश करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

17. शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं और अनुभव– (ए) **आवश्यक अर्हता**–(i) किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधी या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या अधिनियम के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ii) अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता;

(iii) संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र;

"यह गैर–चिकित्सा योग्यता के शिक्षकों के लिए लागू नहीं है,"

(iv) संस्कृत के शिक्षक के लिए अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और स्नातक स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा मे स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवार और संस्कृत में एमए को प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक डिग्री रखने वाले और अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) के अनुसार प्रासंगिक आधुनिक विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर करने वाले और जैसा कि उल्लेखित इन विनियमों में से अनुभाग 10 का उल्लेख किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा योग्यता रखने वाले शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को अर्हता प्राप्त किए बिना में नियुक्त करने के लिए पात्र होंगे।

(vi) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से प्राप्त निम्नलिखित अर्हताओं वाले शिक्षक को संबंधित विभागों में निम्नलिखित तालिका के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात् –

तालिका–17

(नियुक्ति के लिए योग्यता और विभाग)

क्रम संख्या	योग्यता	विभाग
1	बी.ए.एम.एस. और एमएससी एनाटॉमी	रचना–शारीर
2	बी.ए.एम.एस और एमएससी फिजियोलॉजी	क्रिया–शारीर
3	बी.ए.एम.एस और एम पी एच	स्वस्थवृत और योग
4	बी.ए.एम.एस और एम.एससी आयुर्जीर्वविज्ञान	संहिता और सिद्धांत

उपर्युक्त योग्यता वाले शिक्षक निर्दिष्ट विभागों में एक से अधिक नहीं होंगे।

(बी) अनुभव– (i) प्राध्यापक (प्रोफेसर) के पद हेतु –

(ए) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में 10 साल का शिक्षण अनुभव या संबंधित विषय में नियमित आधार पर सह–आचार्य (प्रवाचक) (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में 6 साल का शिक्षण अनुभव या

(बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशाला की अनुसंधान परिषदों में पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) के रूप में 10 साल का शोध अनुभव या केंद्र सरकार में नियमित सेवा में 10 साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) स्वास्थ्य सेवाएं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष मंत्रालय या 10 साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद में सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के रूप में, जिसने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिस तारीख से यह चल रही है और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से किसी एक के साथ, अर्थात्–

(i) सूचकांक पत्रिकाओं (यूजीसी–केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध लेख; नहीं तो

(ii) सूचकाक पत्रिकाओ (यूजीसी–केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, 'साइंस साइटेशन इंडेक्स, एससीओपीओएस) में प्रकाशित कम से कम तीन शोध लेख और आयुर्वेद के लिए प्रासंगिक एक प्रकाशित पुस्तक या नियमावली; नहीं तो

(iii) किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक); और

(iv) शल्य, शालाक्य और स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र के विषयों या विशेषता को छोड़कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करना:

बशर्ते कि सेवारत उम्मीदवार अपनी आयु के 45 वर्ष पूरा होने से पहले संबंधित विषय में अपना स्नातकोत्तर पूरा कर लेगा।

(ii) सह–आचार्य (प्रवाचक) (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद के लिए–

(ए) संबंधित विषय में नियमित व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के रूप में 5 साल का शिक्षण अनुभव नहीं तो

(बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों की अनुसंधान परिषदों या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पूर्णकालिक शोधकर्ता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) के रूप में 5 साल का शोध अनुभव या नियमित सेवा में 5 साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) केंद्रीय में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष मंत्रालय या पांच साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद में सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के रूप में, जिसने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उस तारीख से उत्तीर्ण किया है जब यह चालू है और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से किसी एक के साथ, अर्थात्–(i) अनुक्रमित पत्रिकाओं (यूजीसी–केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध लेख नहीं तो

(ii) अनुक्रमित पत्रिकाओं (यूजीसी–केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस एसिप्रेस इंडेक्स, स्कोपस) और आयुर्वेद से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या निगमावली में प्रकाशित कम से कम एक शोध लेख नहीं तो

(iii) किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक की अवधि) या लघु अनुसंधान परियोजना (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष से कम की अवधि) के लिए अन्वेषक और

(iv) शल्य, शालाक्य और स्त्री रोग एवं प्रसुति तंत्र के विषयों या विशेषताओं को छोड़कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करना है।

बशर्ते कि सेवारत उम्मीदवार अपनी आयु के 45 वर्ष पूरा होने से पहले संबंधित विषय में अपना स्नातकोत्तर पूरा कर लेगा।

(iii) **सहायक आचार्य अथवा व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद के लिए**– किसी भी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन, पहली नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(iv) अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षक के लिए अर्हता चिकित्सा सांख्यिकी या बायोस्टैटिस्टिक्स या महामारी विज्ञान या अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी के अन्य प्रासंगिक अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधी होगी–

बशर्ते कि आयुर्वेद के स्नातकोत्तर, जिन्होंने अपने स्नातकोत्तर में एक विषय के रूप में अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी का अध्ययन किया है और आयुर्वेद के स्नातकोत्तर, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी में ऑनलाइन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे भी अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के विषय को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति के समय और अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षक को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है और यह स्वस्थवृत्त और योग विभाग के तहत काम करेगा और ऐसे अंशकालिक शिक्षकों को शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(v) योग प्रशिक्षक (पूर्णकालिक) के लिए योग्यता योग में स्नातक की डिग्री न्यूनतम होगी और यह स्वस्थवृत्त और योग विभाग के तहत काम करेगी। स्वस्थवृत्त में स्नातकोत्तर भी इसके लिए पात्र होंगे। अनुदेशक पद के लिए शिक्षक कोड नहीं होगा।

(vi) सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता के रूप में संस्कृत शिक्षक सहित एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी, एमपीएच और एमएससी आयुर जीव विज्ञान की योग्यता के साथ नियुक्त शिक्षक सात साल के अनुभव के बाद रीडर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद और प्रोफेसर के पद के लिए बारह साल के शिक्षण अनुभव के लिए पात्र होंगे और ऐसे शिक्षक विभागाध्यक्ष के साथ–साथ संस्थान के प्रमुख के पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) का शोध अनुभव वास्तविक अनुसंधान अवधि अर्थात् थीसिस जमा करने की तारीख से जुड़ने की तारीख और तीन साल से अधिक नहीं, शिक्षण अनुभव और पीएचडी सीट आवंटन पत्र, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने का प्रमाण और विश्वविद्यालय को थीसिस प्रस्तुत करने के प्रमाण को इस संबंध में सबूत के रूप में माना जाएगा।

(viii) शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति या अस्थायी पदोन्नति पर पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) शिक्षक के रूप में चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के मामले में, यह इस विनियमन में विनिर्दिष्ट योग्यताओं, पदनामों और अनुभव के साथ होगा और प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष से कम नहीं होगी और कोई भी आपातकालीन वापसी उचित प्रतिस्थापन या ऐच्छिक व्यवस्था के बाद होगी।

(x) संबद्ध विषयों में नियुक्त किए गए शिक्षकों को, यदि मूल विभाग में लौटने की इच्छा है, तो वे इस विनियमन की अधिसूचना की तारीख से तीन साल के भीतर वापस आ सकते हैं और ऐसी स्थिति में, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अनुमोदित शिक्षकों के संबद्ध विषय के अनुभव को मूल विभाग में नियमित अनुभव के रूप में माना जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अनुमोदित शिक्षकों के लिए आयोग जो संबद्ध विषयों में बने रहे, उन पर विचार किया जाएगा। संबंधित विभाग के नियमित शिक्षक के रूप में और इस विनियमन में निर्दिष्ट के रूप में नियमित शिक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र है।

(सी) संस्थान के प्रमुख के पद के लिए योग्यता और अनुभव.–संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) के पद के लिए योग्यता और अनुभव वही योग्यता और अनुभव होगा जो न्यूनतम तीन साल के प्रशासनिक अनुभव (वाइस प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि) के साथ प्रोफेसर के पद के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(डी) वेतन– (ए) सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी डीम्ड–विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए– जैसा भी लागू हो, गैर–अभ्यास भत्तों सहित वेतन और भत्तों का भुगतान शिक्षक को केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के समान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो और चिकित्सा प्रणालियों के बीच वेतन संरचना की कोई विसंगति नहीं होगी।

(बी) केन्द्रीय निजी डीम्ड विश्वविद्यालय या राज्य निजी डीम्ड–विश्वविद्यालय सहित स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षक के लिए–(i) न्यूनतम मूल वेतन निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा, अर्थात–

तालिका–18

(न्यूनतम मासिक वेतन)

क्रम संख्या	पद	वेतनमान
1.	व्याख्याता (असिस्टेंट प्रोफेसर)	पे लेवल–10, पे मैट्रिक्स 56,100–1,77,500 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार)
2.	प्रवाचक (एसोसिएट प्रोफेसर)	पे लेवल–12, पे मैट्रिक्स 78,800–2,09,200 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार)
3.	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	पे लेवल–13, पे मैट्रिक्स 1,23,100–2,15,900 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार)
4.	संस्था के प्रमुख	पे लेवल–13ए, पे मैट्रिक्स 1,31,100–2,16,600 रुपये (7वें सीपीसी के अनुसार)

(ii) (ए) यह न्यूनतम निर्धारित वेतन होगा और उच्चतर वेतन संरचना के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं होगा।

(बी) मासिक वेतन का भुगतान संबंधित नियोक्ता नीति के अनुसार लागू भत्तों और संबंधित संवर्ग या पद के अनुभव के वर्ष के संबंध में वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ किया जाएगा।

(सी) यह संस्थान जो पहले से ही अधिक वेतन संरचना का भुगतान कर रहा है, उसी के साथ जारी रहेगा।

(डी) जब भी केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) वेतनमानों में संशोधन करेगा, तब लागू तदनुरूपी वेतन संरचना को अपनाया जाएगा।

(सी) वेतन बैंक अंतरण के माध्यम से वेतन खाते में जमा किया जाएगा और शिक्षक को आवश्यक सुविधाएं जैसे भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा, आदि कॉलेज द्वारा प्रदान किए जाएंगे और आयकर कटौती प्रमाण पत्र जैसे कि प्रपत्र 16 वर्ष कॉलेज द्वारा शिक्षक को मौजूदा के मानदंडों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(डी) कॉलेज नियुक्ति और पदोन्नति आदेश जारी करेगा जिसमें वेतन, इस्तीफे के लिए नोटिस अवधि, शिक्षक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम उपस्थिति जैसे विवरणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ई) **शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु**– शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के आदेश के अनुसार होगी और शिक्षकों के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनः नियोजित किया जा सकता है।

(एफ) **यूनिक टीचर कोड** –(i) सभी पात्र शिक्षकों के लिए एक यूनिक टीचर कोड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा कॉलेज में उनकी नियुक्ति के बाद एक ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नियुक्ति के बाद शामिल होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर आवंटित किया जाएगा और ऐसे सभी शिक्षकों के विभाग की पदोन्नति या कार्यमुक्ति या स्थानांतरण को ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (ओटीएमएस) के माध्यम से सुविधाजनक और निगरानी की जाएगी।

(ii) संस्थान और शिक्षक पदोन्नति, विभाग स्थानांतरण, कार्यमुक्ति आदि के संबंध में समय–समय पर ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (ओटीएमएस) में प्रोफाइल अपडेट करेंगे।

(जी) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार पर शिक्षक संहिता को वापस लेने की शक्ति होगी।

(एच) आयोग के पास शिक्षक के कोड को वापस लेने या रोकने की शक्ति होगी यदि शिक्षक शिक्षण व्यवसाय को बंद कर देता है या किसी भी कारण से किसी भी संस्थान में शामिल नहीं होता है और वह समय–समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसी शिक्षक के कोड के साथ शिक्षण व्यवसाय में फिर से शामिल हो सकता है।

(आई) **शिक्षक की उपस्थिति**– शिक्षक समय–समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और अधिदेशों का पालन करेगा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होगी

(जे) **संकाय सदस्यों का विकास और प्रशिक्षण**– प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार शिक्षकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या नामित प्राधिकरण द्वारा संचालित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी (एमईटी) या गुणवत्ता इनपुट कार्यक्रम (क्यूआईपी) से गुजरना होगा

18 **आयुर्वेद में परीक्षक की नियुक्ति**–संबंधित विषय में न्यूनतम पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ नियमित या सेवानिवृत्त शिक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जांच के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और परीक्षक की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

नोट:

(एं) पुराने नामकरण नामत आयुर्वेद वाचस्पति–आयुर्वेद सिद्धान्त, आयुर्वेद वाचस्पति–आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद वाचस्पति–आयुर्वेद क्रियाशरीर, (दोष–धातू–मल विज्ञान) और आयुर्वेद वाचस्पति–भैषज्य कल्पना में स्नातकोत्तर डिग्री धारक, जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2005 में उल्लेखित है, संबंधित विभाग में नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि क्रिया शरीर विभाग में दोष धातु मालपीय के धारक, आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत विभाग में संहिता के धारक, रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग में भैषज्य कल्पना के धारक और इसी तरह, पुराने नामकरण में स्नातकोत्तर डिग्री धारक, अर्थात् आयुर्वेद धनवंतरि – शल्य सामान्य –ा, आयुर्वेद धनवंतरि – क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म, आयुर्वेद धनवंतरि – शालाक्य – नेत्र रोग, आयुर्वेद धनवंतरि – शालाक्य – शिरो नासा कर्ण एवं कंठ रोग, आयुर्वेद धनवंतरि – शालाक्य – दंत एवं मुख रोग, आयुर्वेद

वाचस्पति संज्ञाहरण, आयुर्वेद वाचस्पति – छाया एवं विकिरण विज्ञान, आयुर्वेद धनवंतरि – अस्थि एवं संधि एवं मर्मगत रोग और आयुर्वेद वाचस्पति– स्वस्थ वृत्त और योग जैसा कि स्नातकोत्तर शिक्षा विनियम, 2012 में उल्लेख किया गया है, को संबंधित विभाग में नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कि शल्य के विभाग में शल्य – सामान्य के धारक, शल्य विभाग में क्षार कर्म एवं अनुशस्त्र कर्म के धारक, शालाक्य विभाग में शालाक्य – नेत्र रोग के धारक, शालाक्य विभाग में शालाक्य के धारक – शिरो नासा कर्ण एवं कंठ रोग धारक ,शालाक्य विभाग में शालाक्य दंत एवं मुख रोग के धारक, शल्य विभाग में संज्ञाहरण के धारक, रोग निदान विभाग में छाया एवं विकिरण विज्ञान के धारक, शल्य के विभाग में अस्थि संधि और मर्मगत रोग के धारक और स्वस्थ वृत्त विभाग में स्वस्थवृत्त एवं योग के धारक।

(बी) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 में उल्लेखित आयुर्वेद वाचस्पति–योग नामक नवविकसित विशेषता के स्नातकोत्तर डिग्री धारक को स्वस्थवृत्त और योग विभाग में नियुक्त किया जा सकता है। रसायन और वाजीकरण और मानसरोग के स्नातकोत्तर धारकों को काय चिकित्सा में नियुक्त किया जा सकता है।

रघुराम भट्ट उ. प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 647 / 2021–22]

परिशिष्ट "ए"

[विनियमन 5 (4) देखें]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (जेडसी) में निर्दिष्ट "निर्दिष्ट विकलांगता" से संबंधित अनुसूची, निम्नानुसार प्रदान करती हैः –

1. शारीरिक विकलांगता–

(ए) लोको मोटर विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं के गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें शामिल हैं–

(ए)"कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन इससे पीड़ित है–

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ–साथ आंखों और पुतली में सनसनी और पैरेसिस की हानि लेकिन बिना किसी प्रकट विकृति के,

(ii) प्रकट विकृति और पैरेसिस लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने से उन्हें सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने में सक्षम बनाया जा सके,

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ–साथ उन्नत आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से ठीक होने पर" अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ होगा।

(ए) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है गति न करने वाला नस से संबंधित स्थिति का एक समूह जो शरीर केगति और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, आमतौर पर जन्म से पहले, दौरान या कुछ ही समय बाद होता है।

(बी) "बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप वयस्क ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है,

(ए) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मांसपेशियों को कमजोर करता है जो मानव शरीर को स्थानांतरित करते हैं और कई डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और गायब जानकारी होती है, जो उन्हें स्वास्थ्य मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु की विशेषता है,

(बी)"एसिड हमले के पीड़ितों" का अर्थ है कि एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंककर हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(ए) दृष्टिदोष–

(ए)"अंधापन" का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है–

(i) दृष्टि की कुल अनुपस्थिति, या

(ii) दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 1/200 (स्नेलेन) से कम बेहतर आंखों में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ, या

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम के कोण को कम करती है।

(ए)"निम्न-दृष्टि" का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जहां किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती है, अर्थात् –

(i) दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलेन) तक सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंखों में नहीं है; नहीं तो

(ii) 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक के कोण को कम करने वाली दृष्टि के क्षेत्र की सीमा।

(ब) सुनने मे कमी–

(ए)"बहरे" का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनके दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी सुनवाई हानि होती है;

(बी) "सुनने की कठिन" का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 60 डीबी सुनाई मे कमी वाला व्यक्ति,

(डी) "भाषण और भाषा विकलांगता" का अर्थ है एक स्थायी विकलांगता जो कार्बनिक या नस संबंधी कारणों के कारण बोलने और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करने वाली लैरींगेक्टोमी या एफेसिया जैसी स्थितियों से उत्पन्न होती है।

2. बौद्धिक विकलांगता दोनों बौद्धिक कामकाज (तर्क, या सीखने, समस्या को सुलझाने) और एक संप्रदान व्यवहार जो हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को शामिल करता है, दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता एक शर्त सहित।

(ए) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" का अर्थ उन स्थितियों का एक विषम समूह है जिसमें बोली जाने वाली या लिखित प्रसंस्करण भाषा में कमी होती है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक एफासिया जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(बी) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरो–विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित करने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. मानसिक व्यवहार "बीमारी का मतलब है" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक पर्याप्त विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मन के जकड़े या अधूरे विकास की स्थिति है,

4. विकलांगता के कारण

(ए) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, जैसे–

(i) "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ एक भड़काऊ, तंत्रिका तंत्र रोग है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर माइलिन म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे डिमाइलाइजेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका कोशिकाओं की एक दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र की एक प्रगतिशील बीमारी जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता और धीमी गति से, अभेद्य आंदोलन द्वारा चिह्नित होती है, जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अधरू पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़े मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है।

(बी) रक्त विकार

(i) "हीमोफिलिया" का अर्थ एक विरासत में मिली बीमारी है, जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों को प्रेषित होती है, जो ब्लड की सामान्य थक्के की क्षमता के नुकसान या हानि की विशेषता है ताकि एक नाबालिग के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सके,

(ii) "थैलेसीमिया" का अर्थ विरासत में मिले विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन की कम या अनुपस्थित मात्रा की विशेषता है।

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक हीमोलिटिक विकार जो क्रोनिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाओं और संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है, "हीमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन प्रवाह में आती है,

5. एकाधिक विकलांगता (उपर्युक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक) बहरे अंधापन सहित जिसका अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याओं के कारण सुनवाई और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है।

6. कोई अन्य श्रेणी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

परिशिष्ट "बी"

[विनियमन 5 (4) देखें]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत "निर्दिष्ट विकलांग" वाले छात्रों के प्रवेश के संबध में दिशानिर्देश, बी.ए.एम.एस.

1. "विकलांगता प्रमाण पत्र" भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप–धारा (i) में प्रकाशित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा, दिनांक 15 जून, 2017 की संख्या जी.एस.आर 591 (ई) के माध्यम से।

2. किसी व्यक्ति में "निर्दिष्ट विकलांगता" की सीमा का मूल्यांकन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)" के तहत शामिल किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप–धारा (ii) में प्रकाशित किया गया है, संख्या एस.ओ. 76 (ई) के माध्यम से, दिनांक 4 जनवरी, 2018 को लिया गया।

3. विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40: (बेंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए ताकि निर्दिष्ट विकलागता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र हो सके।

4 'विकलांग व्यक्ति' (पीडब्लूडी) शब्द का उपयोग 'शारीरिक रूप से विकलांग' (पी एच) शब्द के बजाय किया जाता है

तालिका

क्रम संख्या	विकलांगता श्रेणी	विकलांगता के प्रकार	निर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता श्रेणी (5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	बी.ए.एम.एस कार्यक्रम के लिए पात्र, पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र नहीं	बी.ए.एम.एस कार्यक्रम के लिए पात्र, पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र	कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं है,
1	शारीरिक विकलांगता	(ए) लोकोमोटर विकलांगता, जिसमें निर्दिष्ट विकलांगता (ए से एफ) शामिल है।	(ए) कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके व्यक्ति'	40% से कम विकलांगता	40–80% विकलांगता 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी मामले दर मामला आधार पर अनुमति दी जा सकती है और उनके कार्य को एक अक्षमता सहायक उपकरणों की सहायता मिलेगी, यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो यह देखने के लिए कि क्या इसे 80% से नीचे लाया गया है और क्या उनके पास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त मोटर क्षमता है।	80% से अधिक
			(बी) सेरेब्रल पाल्सी "			
			(सी) बौनापन			
			(डी) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
			(ए) एसिड हमले के शिकार			
			(बी) अन्य '" जैसे विच्छेदन, पोलियोमाइलाइटिस आदि।			
			* उंगलियों और हाथों में संवेदनाओं के नुकसान पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विच्छेदन, साथ ही साथ आंखों की भागीदारी और संबंधित सिफारिशों को देखा जाना चाहिए। ** दृष्टि, सुनवाई, संज्ञानात्मक कार्य आदि की हानि पर ध्यान दिया जाना चाहिए और संबंधित सिफारिशों को देखा जाना चाहिए। *** दोनों हाथों को बरकरार रखते हुए, बरकरार संवेदनाओं के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा बी.ए.एम.एस कार्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए आवश्यक है।			
		(बी) दृश्य दोष (*)	(ए) अंधापन	40% से कम विकलांगता (यानी		40% विकलांगता के बराबर या
			(बी) कम दृष्टि			

				श्रेणी '0 (10%)'। (20%)' और ॥ (30%)		उससे अधिक (यानी श्रेणी ॥। और उससे ऊपर)
		(सी) श्रवण हानि /	(ए) बहरा (बी) सुनने में कठिनाई	40% से कम विकलांगता		40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक
			(*) 40% से अधिक की दृश्य हानि/दृश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.ए.एम.एस शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि दृश्य विकलांगता को दूरबीन/आवर्धक आदि जैसे उन्नत कम दृष्टि एड्स के साथ 40% के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है। / 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.ए.एम.एस शिक्षा का पीछा करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि सुनवाई विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40/ के बेंचमार्क से कम के स्तर पर लाया जाता है। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60/ से अधिक का भाषण भेदभाव स्कोर होना चाहिए।			
		(डी) आवाज और भाषा विकलांगता	कार्बनिक/न्यूरोलॉजिकल कारण	40% से कम विकलांगता		40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक
			यह प्रस्तावित किया गया है कि बीए.ड एस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए भाषण बोधगम्यता प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा (जो 40% से कम के अनुरूप होगा) बी.ए.एम.एस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र होने के लिए। इस स्कोर से परे के व्यक्ति बी.ए.एम.एसकार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक एक एफेसिया भागफल (एक्यू) वाले व्यक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वे न तो बी.ए.एम.एस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण होगा।			
2.	बौद्धिक विकलांगता		(ए) विशिष्ट अधिगम विकलांगता (अवधारणात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और विकासात्मक एफेसिया) रु.	: वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई परिमाणीकरण पैमाने उपलब्ध नहीं है, इसलिए 40% का कट-ऑफ मनमाना है और अधिक सबूत की आवश्यकता है।		
				40% से कम विकलांगता	40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक लेकिन चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा उपचार/सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/सहायता/बुनियादी ढांचे के परिवर्तनों की मदद से मूल्यांकन की गई सीखने की योग्यता पर आधारित होगा।	
			(ए) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार	अनुपस्थिति या हल्के विकलांगता, एस्पेरर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40–60% की विकलांगता) जहां व्यक्ति को एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा बी.ए.एम.एसप्रोग्राम के लिए फिट माना जाता है।	वर्तमान में मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा स्थापित करने के लिए उद्देश्य विधि की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है। तथापि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीकों को विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/उद्धृत के लाभ पर विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता की उपस्थिति के बराबर या अधिक और यदि व्यक्ति को एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा बी.ए.एम.एस कार्यक्रम का पीछा करने के लिए अयोग्य माना जाता है।

3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	अनुपस्थिति या अल्प विकलांगता: 40% से कम (आइड्रियाज के तहत)	वर्तमान में मानसिक बीमारी की उपस्थिति और सीमा स्थापित करने के लिए उद्देश्य विधि की कमी के कारण अनुशंसित नहीं है। तथापि, विकलांगता मूल्यांकन के बेहतर तरीकों को विकसित करने के बाद भविष्य में आरक्षण/कोटा के लाभ पर विचार किया जा सकता है।	40% विकलांगता के बराबर या उससे अधिक या यदि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अयोग्य माना जाता है। मानकों को "चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए फिट" के निश्चित रूप से तैयार किया जा सकता है जैसा कि भारत के अलावा अन्य देशों के कई संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाता है।

4.	के कारण होने वाली विकलांगता	(ए) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां	(i) मल्टीपल स्केलेरोसिस	40% से कम विकलांगता	40% 80% विकलांगता	80% से अधिक
			(ii) पार्किंसनिज्म			
		(बी) रक्त विकार	(i) हीमोफिलिया	40% से कम विकलांगता	40% 80% विकलांगता	80% से अधिक
			(ii) थैलेसीमिया			
			(iii) सिकल सेल रोग			
5.	बहरा अंधापन सहित एकाधिक विकलांगता		उपर्युक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं में से एक से अधिक	उपरोक्त में से किसी की उपस्थिति के संबंध में व्यक्तिगत मामलों में सिफारिशों का निर्णय लेते समय उपरोक्त सभी पर विचार करना चाहिए, अर्थात्, दृश्य, सुनाई, भाषाज और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, और एकाधिक विकलांगता के घटक के रूप में मानसिक बीमारी। भारत सरकार द्वारा जारी संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित फार्मूले का संयोजन एबी (90–ए) 90 (जहां – विकलांगता %का उच्च भाग % और बी = विकलांगता % का कम मूल्य जैसा कि विभिन्न विकलांगताओं के लिए गणना की गई है) किसी दिए गए व्यक्ति में एक से अधिक अक्षम करने की स्थिति होने पर उत्पन्न होने वाली विकलांगता की गणना करने के लिए अनुशंसित है। इस सूत्र का उपयोग कई विकलांगों वाले मामलों में किया जा सकता है, और किसी दिए गए व्यक्ति में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार प्रवेश और/या आरक्षण के बारे में सिफारिशें की जा सकती हैं		

नोट: पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत चयन के लिए, उम्मीदवारों को भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामित विकलांगता मूल्यांकन बोर्डों में से एक से परामर्श की अपनी निर्धारित तिथि से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक–1

प्रपत्र 1

[विनियमन 15 ई) (iX) बी)(सी)(डी)देखें]

(कॉलेज का नाम और पता)

आयुर्वेदाचार्य

(आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा मे – बी.ए.एम.एस प्रोग्राम)

विभाग———————————————

विशिखानुप्रवेश की उपस्थिति और मूल्यांकन का प्रमाण पत्र

प्रशिक्षणार्थी का नाम

विशिखानुप्रवेश के दौरान उपस्थिति

प्रशिक्षण की अवधिः से———————————तक———————————

(ए) कार्य दिवसों की संख्याः

(बी) भाग लेने वाले दिनों की संख्याः

(सी) अवकाश के दिनों की संख्या।

(डी) अनुपस्थित दिनों की संख्याः

विशिखानुप्रवेश का आकलन

क्रम संख्या	वर्ग	प्राप्तांक
1	सामान्य	अधिकतम 10
ए	जिम्मेदारी और समय की पाबंदी	(_____) 2 में से
बी	अधीनस्थ, सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार	(_____) 2 में से
सी	प्रलेखन क्षमता	(_____) 2 में से
डी	चरित्र और आचरण	(_____) 2 में से
ई	अनुसंधान की योग्यता	(_____) 2 में से
2	नैदानिक	अधिकतम 20
ए	विषय के मूल सिद्धांतों में प्रवीणता	(_____) 4 में से
बी	बेडसाइड शिष्टाचार और रोगी के साथ तालमेल	(_____) 4 में से
सी	नैदानिक कौशल और योग्यता के रूप में अधिग्रहित	(_____) 4 में से
i	प्रक्रियाओं को निष्पादित करके	(_____) 4 में से
ii	प्रक्रियाओं में सहायता करके	(_____) 4 में से
iii	प्रक्रियाओं का पालन करके	(_____) 4 में से
	प्रक्रियाओं का पालन करके	(_____) 30 में से

अंकों का प्रदर्शन ग्रेड

खराब 8, औसत से नीचे 9–14, औसत 15–21, अच्छा 22–25, उत्कृष्ट 26 और ऊपर

नोट एक प्रशिक्षणार्थी प्राप्त असंतोषजनक स्कोर (15 से नीचे) को संबंधित विभाग में पोस्टिंग की कुल अवधि का एक तिहाई दोहराने की आवश्यकता होगी।

दिनांक

स्थान

प्रशिक्षणार्थी का हस्ताक्षर

विभागाध्यक्षका हस्ताक्षर

कार्यालय सील

अनुलग्नक–2

प्रपत्र 2

[विनियमन 15 (इ) (ix) डी]

(कॉलेज का नाम और पता)

आयुर्वेदाचार्य

(बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी बी.ए.एम.एस प्रोग्राम

अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित करने के लिए है कि (प्रशिक्षणार्थी का नाम) प्रशिक्षणार्थी (कॉलेज और पते का नाम), ने निम्नलिखित विभागों में से एक वर्ष की अवधि के लिए (कॉलेज का नाम और पता/पोस्टिंग के स्थान) पर अपनी अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश पूरी कर ली है,_____से_____ तक एक वर्ष की अवधि के लिए,

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रशिक्षण की अवधि (दिनांक /माह/वर्ष)	प्रशिक्षण की अवधि (दिनांक /माह/वर्ष)

दिनांक:

स्थान:

प्रिंसिपल / डीन / निदशक कार्यालय सील के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–3

ए. अकादमिक कैलेंडर का अनंतिम टेम्पलेट

पहला व्यवसायिक बी.ए.एम.एस

(18 माह)

क्रम संख्या	दिनांक/अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2	15 कार्य दिवस	इंडक्शन कार्यक्रम और संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम
3	मार्च का चर्तुथ सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
4	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
5	सितंबर का चर्तुथ सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन

6	फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में	पूर्व परिक्षा अवकाश
7	फरवरी के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
8	अप्रैल का प्रथम कार्य दिवस	द्वितीय व्यावसायिक बी.ए.एम.एस का प्रारंभ।
	नोट.— 1. विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। 2. चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, अकादमिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

बी. अकादमिक कैलेंडर का अनंतिम टेम्पलेट

दूसरा व्यवसायिक बी.ए.एम.एस

(18 माह)

क्रम संख्या	दिनांक / अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1	अप्रैल का पहला कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2	सितंबर का चतुर्थ सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
3	मार्च का चतुर्थ सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन
4	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
5	अगस्त के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में	पूर्व परिक्षा अवकाश
6	अगस्त के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
7	अक्टूबर का प्रथम कार्य दिवस	तीसरे व्यावसायिक बी.ए.एम.एस का प्रारंभ।
	नोट.— 1.विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। 2. चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, अकादमिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

सी. अकादमिक कैलेंडर का अनंतिम टेम्पलेट

तीसरा व्यावसायिक बी.ए.एम. एस

(18 माह)

क्रम संख्या	दिनांक / अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2	मार्च का चुर्तथ सप्ताह	पहला आंतरिक मूल्यांकन
3	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
4	सितंबर का चुर्तथ सप्ताह	दूसरा आंतरिक मूल्यांकन
5	फरवरी के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में	पूर्व परिक्षा अवकाश

6	फरवरी के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
7	अप्रैल का प्रथम कार्य दिवस	इंटर्नशिप की शुरुआत
	नोट.– 1.विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। 2.चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, अकादमिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

अनुलग्नक–4

उपस्थिति रखरखाव के लिए दिशानिर्देश

(सिद्धांत / व्यावहारिक / नैदानिक / गैर व्याख्यान घंटे)

भारतीय चिकित्सा पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों कॉलेजों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। तथापि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यकलापों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक रजिस्टरों का रख रखाव किया जा रहा है, तो निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है–

(1) उपस्थिति संचयी क्रमांकन पद्धति में चिह्नित किया जाना है।

(ए) उपस्थिति को 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में चिह्नित किया जाना है... इस तरह से ।

(बी) अनुपस्थिति के मामले में, इसे एएके रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए ।

(सी) उदाहरण: पी पी ए पी ए पी (1, 2, 3, 4, ए, 5, 6,ए, ए, 7, 8, 9...) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

(2) उपस्थिति के लिए 'पी' को सख्ती से चिह्नित करने से बचें।

(3) सिद्धांत और व्यावहारिक/नैदानिक/गैर–व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग–अलग रजिस्टर बनाए रखा जाना है।

(4) अवधि या पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के हिस्से के अंत में, अंतिम संख्या को कुल उपस्थिति के रूप में लिया जाना है।

(5) छात्रों के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित एचओडी द्वारा प्रमाणित किया जाना है और उसके बाद प्रिंसिपल द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(6) कई टर्म्स के मामले में, पाठ्यक्रम के अंत में सभी टर्म्स की उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना है और नैदानिक और गैर–व्याख्यान घंटों सहित सिद्धांत और व्यावहारिक के लिए प्रतिशत की गणना अलग से की जानी है।

[नोट: *यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

Annexure -18 PUC 4 Annx 71

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय, 61 65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी ब्लाक नई दिल्ली - 110058
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: 61-65, Institutional Area, Janakpuri, D-Block, New Delhi - 110058

ncism
पश्यामिसरः प्राणयत्नवानान्

फोन Phone
अध्यक्ष / Chairman: 28525156
सचिव / Secretary: 28525347
कार्यालय /Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax. 28520878
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक/ Ref. No. BOA/Academic Calendar/7-20/2022 दिनांक/ Dated: 24.02.2022

To,

Health Secretaries of All State Governments
State AYUSH Commissioners/Directors
Registrars of Universities having Ayurveda Colleges
Principals/Deans/Directors of Ayurveda colleges

Sir/Madam,

Subject: Cut-off date for admission and Academic Calendar for the batch 2021-22 for BAMS reg.

With reference to the subject mentioned above, I am directed to inform you that the schedule for counselling for admission into Under Graduate courses in ASU & S colleges has been notified by Ministry of AYUSH. Accordingly NCISM is hereby notifying **Cut-off date for admissions and Academic Calendar** for Under Graduate courses in Ayurveda colleges for **UG Batch 2021-22** which is as under:-

(For UG Batch 2021 2022)		
S.no.	**Event**	**Timeline**
1.	*Cut-off date for admission into UG courses (BAMS) in Ayurveda Colleges*	*23rd April 2022*
2.	*Date of commencement of course*	*11th April 2022*

Academic Calendar for Ayurveda UG Courses for 2021-22 Batch	
First Professional BAMS (18 month)	
ACADEMIC ACTIVITY	**DATE/PERIOD**
Course Commencement	11th April 2022
Induction Program & Transitional Curriculum	15 working Days
First Internal Assessment	Third and Fourth Week of September - 2022
Winter Vacation	Three Weeks in Dec 2022 – Jan 2023
Second Internal Assessment	Third and Fourth Week of March 2023
Preparatory holidays	Second and Third Week of July 2023
University Examination	Fourth Week of July 2023
Second Professional BAMS (18 month)	
ACADEMIC ACTIVITY	**DATE/PERIOD**
Course Commencement	First Working Day of October 2023
First Internal Assessment	Third and Fourth Week of March 2024
Summer Vacation	Three weeks in May 2024
Second Internal Assessment	Third and Fourth Weeks in September 2024
Preparatory Holidays	Second and Third week of Jan 2025
University Examination	Fourth Week of January 2025

Third Professional BAMS (18 months)	
ACADEMIC ACTIVITY	**DATE/PERIOD**
Course Commencement	First Working Day of April 2025
First Internal Assessment	Third and Fourth Week of September 2025
Winter Vacation	Three Weeks in December 2025 - Jan 2026
Second Internal Assessment	Third and Fourth Week of March 2026
Preparation holidays	Second and Third Week of July 2026
University Examination	Fourth Week of July 2026
Commencements of Internship	**First Working day of October 2026**
NOTE: Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated days and hours of teaching. However the structure of academic calendar shall not be altered.	

This is issued with the approval of the competent authority.

24-2-22

(Dr. Raghurama Bhatta U.)
Secretary I/c
(NCISM)
सचिव
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
नई दिल्ली-110058

Copy to:-

1. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110058.
2. Chairman, Ayush Admissions Central Counseling Committee, Ministry of AYUSH,AYUSH Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023
3. The Secretary to the Government of India, Ministry of AYUSH, EP(IM-2), AYUSH Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023
4. President, Board of Ayurveda, NCISM.
5. President, Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa, NCISM.
6. President, Board of Ethics and Registration, NCISM.
7. President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine NCISM.
8. Guard file

(Dr. Raghurama Bhatta U.)
Secretary I/c
(NCISM)

Print Close

Unique Id	:-	10927
Type	:-	File ,Ordinary
Initial Date	:-	13/09/2018
Registration Date and time	:-	02/11/2018 10:19:22 AM
Init File No	:-	
Subject	:-	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan
Init Dept	:-	Superintendent
		Examination Branch
		Registrar Office
		Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya

All Pages Paging

UniqueId	Mark By/Recpt Date	Mark To	Pendency in Days	Remark/Target Date/Priority Status	Attachment
10927	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 13/09/2018 12:07:30 PM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 13/09/2018 12:07:30 PM	0	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 13/09/2018 12:07:30 PM	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 19/09/2018 10:45:29 AM	6	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 19/09/2018 10:45:29 AM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 22/09/2018 12:34:06 PM	3	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927 ✓	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 22/09/2018 12:34:06 PM	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 03/10/2018 3:52:21 PM	11	List of Security staff engated through outsource agency on DC rates with date of birth may kindly be perused.	
10927	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 03/10/2018 3:52:21 PM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 05/10/2018 10:56:13 AM	2	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool	6	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	

	Singh Mahila Vishwavidyalaya 05/10/2018 10:56:13 AM	Singh Mahila Vishwavidyalaya 11/10/2018 10:13:31 AM			
10927	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 11/10/2018 10:13:31 AM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 14/10/2018 3:55:43 PM	3	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 14/10/2018 3:55:43 PM	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 17/10/2018 3:48:23 PM	3	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 17/10/2018 3:48:23 PM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 26/10/2018 3:39:39 PM	9	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 26/10/2018 3:39:39 PM	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 30/10/2018 9:55:17 AM	4	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant V C Office Vice Chancellor Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 30/10/2018 9:55:17 AM	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 31/10/2018 11:34:03 AM	1	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Assistant Administration Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 31/10/2018 11:34:03 AM	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 02/11/2018 10:19:22 AM	2	regarding corruption fraud bribe in exam branch bpsmv khanpur kalan	
10927	Superintendent Examination Branch Registrar Office Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya 02/11/2018 10:19:22 AM				

Annexure 20

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec.2 (F) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Enquiry Report Date............................

on

Complaint of Corruption/fraud/bribe in Exam Branch, BPSMV.

I. **Statement of Case:**

A complaint was received in BPSMV from DGHE Chandigarh vide Memo No. 18/211-2018 UNP (3) dated: 10/08/2018 which was received in the University vide diary No. 131, dated: 29/08/2018. Since the complainant had sent her complaint regarding Examination to the Hon'ble Chief Minister, this complaint was down marked to C.O.E. BPSMV vide 3095 dated 05/09/2018.

CFMS-1198

Allegations against leveled the Exam Branch:

(i) Bribe of Rs. 10-50 thousand is asked by Exam Branch employees for facilitating to pass papers in which the students fail or get lowest marks.

(ii) Exam Branch employees promote such students to put RTIs.

(iii) Original answer-sheets are given/shown in RTI to these students and they are given opportunity to write answers. Later such students claim that their answers are unchecked.

(iv) End-stamps are over-rided or re-fixed.

(v) Subsequently, such answer –sheets undergo re-evaluation; fail students score to pass.

(vi) Re-evaluation done after 1st March, 2018 are questionable (as per the complainant).

(vii) Some Answer –Books are checked fraudulently.

P20/D/24 29/1/19

As a matter of fact, the Controller of Exams, BPSMV marked this complaint to Superintendent (Secrecy-I & II) with a remark to examine and report by 11/09/2018. The reports submitted by the respective Superintendents, (Secrecy) were inadequate; rather papery, merely refuting the charges/allegations. *(see Annex. - 1&2).*

This report, submitted by the Exam Branch on file CFMS 10927 dated 13/09/2018 was further sent to the Hon'ble Vice-Chancellor for approval of point-wise draft reply to be sent to DGHE.

The Hon'ble Vice Chancellor however, marked this enquiry to the Proctor on 30/10/2018.

II. **Proceedings of the Enquiry Committee:**

Keeping in view, Haryana Govt. Notification dated 15/11/94, regarding *Redressal of Public Grievances Review of Complaint* which says:

> *2(i) All anonymous and pseudonymous complaint should be rejected and destroyed. However, in such complaints facts which can be verified from the record, such verification should be invariable undertaken and the position reported to the competent authority.* (see Flag 'A')

For addressing the grievance of the student-complainant, the Proctor asked the Exam Branch to supply the facts and figures as well as information/record duly certified. As a matter of fact, repeated attempts had to be made to get the required data and record subsequently till 11/12/2018.

Members: [signatures] 22/01/2019, 22/01/19, 18/01/19

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA
(A State University Recognized Under Sec.2 (F) and 12 (B) of the UGC Act 1956)
KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Date.............................

(A) **Fact and Figures Examined:**

1. *Verifying the Complainant* : The first name in the signatures of the complainant seems to read 'Preeti'. Hence, the R&S Branch was asked to verify if she is a bona-fide student of BPSMV. The R&S could not find the complainant's hand legible. So, the branch could not cooperate much to validate her as student of BPSMV. *(see Annex.-3)*

   Notwithstanding, the sensitive nature & gravity of this complaint compelled to seek further information and record from HKCL.

2. *RTI:* Total number of RTIs received in both the branches w.e.f. 01/03/2018 to 31/06/2018 are:

SrNo.	Month	Secrecy-I	Secrecy-II
1	March, 18	227	363
2	April, 18	075	314
3	May, 18	001	002
4	June, 18	Nil	056
	Total:-	303	735

(see Annex. 4)

3. *Marking of RTI Applications:*
   (a) Each RTI application is marked to Secrecy I & II by the concerned in the Exam Branch. Adding, it is generally found to be marked by Supdt/Asst. if it has to further undergo re-evaluation.
   (b) Some RTI applications had remarks of students who had come to inspect their Original Answer-books. *(see Annex. 5 & 6)*

4. *Re-evaluation*: Total Number of re-evaluation of answer-sheets undertaken w.e.f. 01/03/2018 to 31/06/2018 are:

(see Annex. 7)

Sr. No.	Month	Total RTI received
1	March, 18	45
2	April, 18	138
3	May, 18	568
4	June, 18	121
	Total:-	872

5. *Answer-sheets:* As per norms, answer sheets are generally disposed off after 6 months from the date of declaration of result. Nonetheless, the Answer-books in question were kept by the Exam Branch and thereby traced.

6. *End-stamps:*
   (a) Two End-stamps are generally issued by the Examination Conduct Branch to each Exam Centre. Stamp-pad, Answer-books, Absentee chart & other accessories are also issued. *(see Annex. 8)*
   (b) End stamps are put on the Answer books by the respective Examination centers.

Members: [signatures] 22/01/2019 18/01/19 22/01/19

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec.2 (F) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Date.............

(c) On closure of Exam centers, these end-stamps are returned back to the Exam Branch.

7 *Paper-setters:* Teaching Assistants/Guest Teachers are also appointed as paper-setters in various subjects. The following number of Teaching Assistant worked as Paper-setters:

Month	Secrecy I	Secrecy II
Dec. 17	15	16
May, 18	52	73

8 *Monitoring:* CCTV cameras are installed in the Exam Branch.

(B) **Constitution of the Inspection Committee:**

After calling the record and screening the preliminary (record/data), as a step further in the enquiry, physical Inspection of answer-sheets and record had to be carried out. Hence, the Hon'ble Vice-Chancellor constituted a committee for inspection of record and interrogation thereof on 11/12/2018 made effective vide BPSMV/Proctor/18/572-577. Concordantly, the COE also issued office orders vide COE 5485 dated 11/12/2018 for putting in staff to cooperate in the enquiry.

(C) **Findings during Inspection:**

(i) During 01/03/18 to 30/06/18 Secrecy-I has been under Sh. Raj Kishan and Sh. Suresh Kumar (Supdt.) along with four other member including the peon. Secrecy-II has been under Sh. Sunil Kumar and Sh. Dinesh Kumar (Supdt.) along with four others members including the peon. (Annex - 9)

(ii) The Conduct Branch under Sh. Raj Kishan, Supdt. is responsible for issuing stamps, stationary and other items related to Examination.

(iii) It is also correct that original copy of answer-sheets is shown under RTI to the students/applicants. Besides, the application is got signed / seen by the applicants / students. The room adjacent to COE office is generally used for showing original Answer Sheets to the students. **It is strange to find, this room has NO CCTV installed. Why?**
On the contrary, the other rooms of the Exam Branch are monitor with CCTV.
Why nobody opted to use any such room where CCTV cameras are installed ?

After screening the answer sheets, three cases were found erroneous.

First: **Ms. Jyoti of B.Sc. (Non-Med.)** Roll. No. 16094625 failed in three paper of *Chemistry*, each in Semester I and III (total-06 papers) and again in three papers *Physics* (Sem.-III). However, **keeping aside all the rules, she scored to pass after going to the process of re-evaluation.** (See Annex - 10, 4 pages)

As per norms if the original Answer Sheet Evaluator fails the student, and consequently, the students applies for re-evaluations, it is send to the 1st Examiner.

If the increase of marks is more than 15% of the original, it is sent to the IInd Examiner. Finally the marks awarded by the first and second Examiner are moderated to prepare the final marks. (See Flag 'B')

[signatures] 22/01/2019 22/01/19 18/01/19

Members

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec.2 (F) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Date.............................

However, in her case, **this rule is kept aside.** Though there is no provision of III[rd] Examiner yet a third examiner is appointed in her case.
Resulting, **she is made to pass all her papers** which she had originally failed. On top of it, this is a **recurrent pattern followed in all the three years of her B.Sc Degree.**

(see Annex. 11)

Second: **Ms. Ritu of B.A** Roll. No. 13090707, scored zero (0) marks originally in Geography paper. However, the I[st] Examiner —Dr. Joginder Alhawat, of NRS Govt. College, Rohtak awarded her 20 marks on 10/04/18.
Interestingly, since the increase was above 15%, her paper was sent to the II[nd] Examiner— Dr. Pardeep Malik, again from NRS Govt. College Rohtak on 19/04/18. Ms. Reetu again received, no less, no more but exactly i.e. 20 marks from Dr. Pardeep.

Why the II[nd] Examiner was chosen from the same college?
How a student who write no proper content in her Answer-sheet and scores zero (0) marks by the original Examiner, **suddenly scores to pass when the sheets are sent to Rothak.**

(Annex-12)

Third: **Ms. Preeti M.A. Eco.** (Sem.-III) Roll No. 16112005. She scored 22 marks in Econometric She failed in this paper.

On 27/02/2018, she applied for **RTI**. Consequently, her marks increased from 22 to 28. However, the result could not change.

Subsequently, on 7/05/18, she applied for **Re-evaluation** again. Her answer-sheet was sent to the II[nd] Examiner from **Rohtak.**
Her **result jump from 28 to 38 marks and she managed to pass.**

(Annex- 13)

It is also noteworthy to find that out of the total ten (10) papers of Semester-I, she had compartment in six papers. As per norms (ordinance) for promotion into the next year, the student must have passed 50% papers. In her case **she fails in more than 50%.**

How was she promoted in the next year?
Again she has compartment in four papers in III[rd] Semester.

Remarks:

(a) Rules are being flouted and compromised to suit convenience.
(b) CCTV cameras not installed in the room where RTI cases are dealt.
(c) Some students are being benefitted by such collapse of the system.
(d) Every time the Answer sheets go to Rohtak for Evaluation /Re-evaluation, the marks jump drastically.
(e) Resulting, fail students pass.

'X' Keeping in view the above, the Apex Chair may consider another enquiry to pin down the black sheep.

Submitted please.

(Members)

Rita 18/01/19
(Convener)

20/01/2019

22/01/19

Hon'ble VC

Pl. discuss.
30/1/19

Minutes of the meeting held on 03/10/2019 at 11.00 a.m. in the office of the Dean Academic Affairs, BPSMV Khanpur Kalan to inquire in to the matter of corruption/fraud/bribe in Exam branch of the University.

The following members were present:

1. Prof. Ipshita Bansal — Dean Academic affairs
2. Prof. R.C, Nautiyal — Member

Prof. Preet Singh could not attend the meeting.

The committee reviewed the documents related to the issue as well as the report of the preliminary inquiry committee. The present committee agreed with the findings of the preliminary committee and in continuation of those findings is additionally submitting the following report and recommendations.

Findings of the committee

On the perusal of the answer sheets Ms. Jyoti Semester III BSc Non Medical Dec, 2017 examination, Roll no. 16094625, it was found that:-

1. Ms. Jyoti Singh failed in 08 papers of B.sc III Semester Non- medical, Dec 2017 examination. The committee observed that -
   i. She passed all the papers after re evaluation, which is very unusual.
   ii. In three papers CHE 201A, CHE 201B and CHE 201C, her answer sheet were sent for re evaluation to 03 examiners which is against the rules. The rules provide for 02 re evaluators only
   iii. In other papers MAT 201A, MAT 201C and PHY 201A and 201B the answer sheets were sent to only 02 re evaluators but she passed all these four papers also. Moreover, there is tampering of marks (overwriting) in MAT 201B. In MAT 201A and in 201C the marks increased from 10 to 29 and 8 to 22 respectively which is again questionable.
   iv. The committee also found that the re evaluation Performa of the revaluated answer sheets was also changed. While the original Performa is a printed one with a provision for Ist and 2nd re evaluators only, the re evaluation Performa of Ms. Jyoti was computer generated with a provision of 3rd re evaluator also which is done deliberately to favor Ms. Jyoti Singh.
   v. The same is observed in the 03 re evaluated answer sheets of Ist semester also. Here also the marks increased from 8 to 20 (CHE101A), 7 to 21 (CHE101B)

Ipshita 03/10/19

03/10/19

and 2 to 17 (CHE101C) along with the change in the re evaluation Performa as stated above, to send the answer sheets to 3rd evaluator also.

2. The committee examined the answer sheets of Ms. Ritu, Dec 2017 examination with Roll no. 13090707, BA III semester and observed that her marks also increased in PSC 201 from 16 to 23, and in GEO 201from 0 to 20 which is again highly improbable.
3. The committee examined the answer sheets of Ms. Preeti of Dec 2017 examination, with roll no. 16112005, MA (ECO), IIIrd semester and the committee observed that the marks increased in ECO 2205 from 28 to 38.

General observation of the committee

1. There is a serious negligence on the part of the superintendents who did not put any 'Date' stamp and the 'End' stamp inside the answer sheet on the day of the examination which makes it possible for the answer sheet to be manipulated which may include replacement of the answer sheets/ writing afterwards, at a later date.
2. The then dealing superintendent and the assistant of exam branch deliberately got the answer sheets of Ms. Jyoti re evaluated from the third examiner by changing the re evaluation Performa to include the column of 3rd evaluator.
3. It is also unusual that almost entire re evaluation is being done by sending the answer sheets to Rohtak.
4. It seems that the COE also could not notice the change in re evaluation Performa and over writing of marks on it if the file with the cases was put on him.
5. How could a candidate who failed in all of her papers in a semester pass not only in all of those but three more papers of the 1st semester as well, after re-evaluation? The abnormal increase in marks could not get noticed. The examination branch failed to follow the procedures.
6. When a student initially failed in all her papers and passed in all of those in re-evaluation, then action should have been against the teachers who checked the papers originally or afterwards who so ever was as fault.

Recommendations

The inefficiencies, negligence or malafide intention of the staff working in the exam branch can jeopardise the future of the students and put a question

Ipshita 03/10/19

03/10/19

mark on the examination system of the university as has been stated by the complainant in the complaint.

Therefore the committee recommends the following:-

1. Action must be taken against the defaulting personnel as per University rules so that system can be streamlined and the staff works with required seriousness and integrity in the exam branch.
2. The result of Ms. Jyoti Singh, Ms. Preeti and Ms. Ritu may be cancelled and action may be taken against them as per University rules.
3. The University may explore the possibility of unearthing the whole nexus of such malafide activities so that sanctity of and the faith in examination system is maintained.

Ipshita. 03/10/19

Prof. Ipshita Bansal
Convener

03/10/19

Prof. R.C. Nautiyal
Member

Prof. Preet Singh
Member

Annexure- 22

Minutes of the Meeting

A meeting of the committee constituted by the Vice-Chancellor was held on 18.11.2022 at 12:00 noon in the Conference Hall, Administrative Block to review the existing rules and frame the new guidelines for appointment of distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Visiting Fellow, Adjunct Faculty, Professor Emeritus and Floating Faculty on the analogy of MDU Rohtak.

The following members were present:-

1. Prof. Sanket Vij, Dean Academic Affairs
2. Prof. Ashok Verma, Director, IQAC

The committee members explored the guidelines, rules and regulations of the sister universities viz KUK, MDU, DCRUST etc. After discussion at a length; the guidelines for Appointment of Distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Scholars-In-Residence, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chair Professor and Floating Faculty in the University were prepared.

It was resolved to submit the same to the competent authority for kind consideration and approval.

The Meeting ended with vote of thanks to the Chair.

18/11/2022

(Prof. Ashok Verma)

(Prof. Sanket Vij)

BHAGAT PHOOL SINGH MAHILA VISHWAVIDYALAYA
KHANPUR KALAN

"Guidelines for Appointment of Distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Scholars-In-Residence, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chair Professor and Floating Faculty in the University"

I. DISTINGUISHED VISITING FACULTY

1. The senior academicians, government officers, industry personnel and eminent personalities who have made significant contribution to the knowledge in the concerned/allied/relevant/applied disciplines are eligible to be invited as Distinguished Visiting Faculty.
2. Distinguished Visiting Faculty shall be provided an honorarium of Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand Only) per hour to a maximum of Rs. 10000/- (Rs. Ten Thousand Only) per day.
3. **Terms and Conditions**
   a. The Distinguished Visiting Faculty shall be from outside the University.
   b. Normally, the duration of visit of Distinguished Visiting Faculty must not exceed two days per single visit and maximum of two visits per month. If the concerned department wishes to engage the Distinguished Visiting Faculty for more than two days per visit / two visits per month, prior approval of Vice Chancellor be obtained.
   c. Distinguished Visiting Faculty will be provided travel cost, as per entitlement, from her/his institution/place of stay and back, and will be provided free lodging and boarding in the Guest House.
   d. There is no minimum period of appointment of Distinguished Visiting Faculty.
4. **Broad Expectations**
   a. Distinguished Visiting faculty be engaged in substantial scholastic activity using facilities of the institute and contribute academic services to the institute.
   b. Mentoring of faculty towards teaching and research.
   c. Delivery of public lectures on contemporary issues.

II. HONORARY FACULTY

1. The purpose of appointment of Honorary faculty is to recognize the presence of intellectual and scholarly resources available outside the University mainstream with rich and varied background and experience and have the ability to enrich academic and research ecosystem of the University. The University may also engage distinguished academicians including its own retired faculty members by conferring on them the status of "Honorary Faculty".
2. A professional who is active in the sectors of industry, business and commerce, arts, literature, public administration and the practice of law with urge to payback to society may be appointed as honorary faculty.
3. Honorary Faculty shall be provided an honorarium of Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand Only) per day of service (having minimum interaction of 2 hours per day).
4. **Terms and Conditions**
    a. Honorary faculty will be provided travel cost, as per entitlement, from her/his institution/place of stay and back.
    b. No reimbursement for hiring accommodation will be permissible. However, she/he will be provided free lodging and boarding in the Guest House/transit accommodation.
    c. Normally, the duration of visit of Honorary Faculty must not exceed two days per single visit and maximum of two visits per month. If the concerned department, wish to engage the Honorary Faculty for more than two days per visit / two visits per month, prior approval of Vice Chancellor be obtained.
    d. There is no minimum period of appointment of Honorary Faculty.
5. **Broad Expectations**
    a. Honorary faculty commits to be engaged in substantial scholastic activity using facilities of the institute and contribute academic services to the institute.
    b. Mentoring of faculty towards teaching and research.
    c. The Honorary faculty will be expected to have a significant presence within the University by delivering lectures, conducting seminars and participating in discussions concerning new courses of study projects and areas of research.

III. VISITING PROFESSOR

1. A Visiting Professor should be an outstanding scholar who has contributed significantly to the discipline with proven credentials in her/his field. Generally a person who has held or is holding the post of Professor or a person who has achieved distinction outside the University sector i.e. industry, should be considered for appointment as Visiting Professor. Due weightage will be given for other honors and awards such as national awards and international awards, patents granted, membership of high level Committees of State and Central Government organizations etc.
2. A Professor will not be appointed as a Visiting Professor in the university in which who has held a post immediately before superannuation in BPSMV.
3. If a superannuated person is appointed as a visiting professor, the honorarium payable should not exceed Rs.1,00,000/-p.m. (One Lakh Only) excluding any superannuation benefits. A person appointed as Visiting Professor from outside the country may be paid an honorarium of up to Rs.1,50,000/p.m.(One Lakh Fifty Thousand Only). In case a person serving in an Indian University is appointed as visiting professor, the honorarium payable should be determined on the basis of salary plus 10% of the basic pay plus dearness allowance, and other allowances, if any admissible (except conveyance allowance, if any) as per the rates of the parent University.
4. **Terms and Conditions**

a. The appointment of visiting professor is independent of sanctioned strength but normally doesn't exceed 02 per department.

b. It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave or any other kind of leave permissible by the parent university without pay.

c. If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel. Visiting Professors appointed may be paid travel expenses within India in accordance with the rules of the University.

d. Guest House accommodation or any other transit accommodation may be provided free of charge by the host University, but food charges would be paid by the Visiting Professor.

e. The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor is two years and the minimum of not less than three months.

5. **Broad Expectations**

a. Stimulating the activities for quality research at master and Ph.D. levels besides playing mentoring and inspirational roles.

b. Sharing real time experiences and practical knowledge.

c. Facilitating industry institutes-interaction and entrepreneurial activities

d. Mentoring of faculty towards teaching and research.

IV. SCHOLARS-IN-RESIDENCE

1. The purpose of Scholars-in-Residence appointment is to strengthen the research or professional activities of the university and to foster co-operative arrangements between the University and eminent persons at national and international levels.
2. Senior professionals and specialists from research and professional organizations and those with PSUs and business corporations, with post-graduate or doctoral qualifications and with academic and research credentials will be eligible for appointment as Scholar-in- Residence.
3. This scheme will be open to overseas professionals and specialists (both Indian and Foreign).
4. The Scholars-in-Residence will be provided a consolidated remuneration of Rs. 1,00,000 (Rs. One Lakh Only) per month. Travel expenses may be met in accordance with the rules of the University.
5. **Terms and Conditions**

a. It is expected that the parent institution will grant academic/duty leave with pay and usual allowance for the duration of the appointment as Scholars-in-Residence.

b. The host University would provide accommodation to the Scholars-in-Residence in the University Guest House or transit accommodation free of charge, but food charges would be paid by the Scholars-in-Residence.

c. The minimum tenure of a Scholars-in-Residence should not be less than three months and maximum up to 24 months.

d. On the request of Scholars-in-Residence, the University may allow the split up of period of engagement. However, the duration of visit of Scholars-in-Residence should not be less than 3 months per visit and maximum of two visits per year.

6. **Broad Expectations**

a. To conceive new areas for project and research.

b. To Mentor the faculty and research scholars towards high-end research.

c. To conduct a limited number of post-graduate classes.

V. ADJUNCT FACULTY

1. The purpose of appointment of Adjunct Faculty is to enable Higher Educational Institutions to access the eminent teachers, researchers, professionals and specialists from reputed research institutes, PSUs, business corporations, etc. to encourage interdisciplinary collaboration in teaching and research. Such interactions are expected to foster trans-disciplinary approach and synergize the outside 'real world' experience with the inside intellectual pursuits in the university.
2. The professionals, experts, officials and managers having experience of working in HEIs, reputed research organizations, PSUs, business corporations, NGOs and professional associations, civil servants and skilled professionals working in organized and unorganized sectors known for their hands on skilling techniques and expertise or eligible to be engaged as adjunct faculty.
3. Adjunct Faculty will be provided an honorarium of Rs. 5000/- (Rs. Five Thousand Only) per day of service (having minimum engagement of 2 hours) subject to a maximum of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh Only) per month.
4. **Terms and Conditions**

a. Adjunct Faculty will be provided travel cost, as per entitlement, from her/his institution/place of stay and back for a maximum of two visits per month.

b. Adjunct Faculty will be provided free lodging and boarding in the Guest House.

c. The strength of Adjunct Faculty may not exceed 25% of the sanctioned strength of faculty in the University.

d. The Adjunct faculty should be appointed for a period of one year at first instance. The tenure may be extended on annual basis as per monitoring criteria.

5. **Broad Expectations**

a. Adjunct faculty is expected to share her/his domain expertise for improvement in academics, research, startup and innovation, placement, consultancy, human resource and other activities.

b. She/He may also contribute to the institution's activities like counseling of students, developing new course(s) and pedagogical improvements.

c. Adjunct Faculty will be expected to teach courses directly related to his/her specific expertise and professional experience or the areas of his/her specialization.

d. Adjunct Faculty may also be involved in the Ph.D. coursework based on his/her professional and research proficiency adjudged by the concerned institution.

VI. PROFESSOR EMERITUS

1. Emeritus Professor is an honorary title, recognizing distinguished academic service. It may be conferred upon fully retired professors who meet the eligibility criteria as per UGC norms. This position provides an opportunity to the superannuated teachers who have been actively engaged in research and teaching programmes in the preceding years to undertake research, without any restriction of position or pay scales.
2. The eligibility conditions for appointment as Professor Emeritus are as follows:
   a. The University may confer the title of Professor Emeritus on a Professor of BPSMV after her/his retirement, if she/he has served in such capacity for at least 10 years in the BPSMV out of total of 15 years' service in the university.
   b. The title will be conferred only on the scholar who has made outstanding contribution to her/his subject through her/his published work. Number of such publications in the last 7 years of her/his career should be substantial.
   c. The Professor should have been constantly engaged in the research throughout her/his career upto the year of her/his superannuation as apparent by research publications in National and International journals

of repute, research projects guided, theses supervised and/or books, monographs etc. favourably reviewed by competent authority in the field.

d. She/He has supervised some major research projects assigned by well-known agencies.

e. She/He has been a recipient of national/international award/fellowship from extremely reputed national/international agency. It must be checked that the agency does not merely award this honour against some sort of payment of money.

3. Honorarium at par with UGC norms excluding any superannuation benefits shall be admissible to Professor Emeritus.

4. **Terms and Conditions**

a. The Professor Emeritus will be entitled for office accommodation and lab facility (if required) in the Department for 5 years as Professor Emeritus at first instance and the tenure may be extended for a period of another 5 years subject to her/his contribution in her/his first tenure as well the recommendation of the Departmental Committee.

b. She/He shall not be a member of any administrative body of the University such as Board of Studies, Faculty, Executive Council, Court etc. though he shall be the ex-officio member of the Academic Council without voting right for a period of 5 years in the beginning of her/his tenure as Professor Emeritus.

c. The consultancy project undertaken and IPR generated during the tenure of Professor Emeritus shall be governed by the University consultancy and IPR policies.

d. A person who avails the Professor Emeritus from any funding agency to work at BPSMV is not eligible to be considered for the grant of Professor Emeritus from BPSMV.

e. The upper age limit shall be 70 years at the time of appointment.

5. **Broad Expectations**

a. Professor Emeritus may mentor the young faculty for research and also to submit research proposal to funding agencies.

b. Professor Emeritus must publish at least one research / review article in SCOPUS/ICI indexed journals in each academic year.

c. Professor Emeritus may co-supervise Ph.D. students of the University.

d. Professor Emeritus may accept teaching assignment of one course (including Theory & Practical) on the request of the Department without

having any detrimental impact on the total teaching workload of the Department.

e. Research Publications/Projects or any other academic/research work of Professor Emeritus during the period shall be reported in the corresponding Annual Report of the University.

VII. CHAIR PROFESSOR

1. The objective of Chair Professorship is to utilize the expertise of highly qualified and experienced professionals in academics and research in a specified area relevant to the Chair.
2. Prominent professionals who have worked in well-recognized teaching/ research institutions in India/ existing regular faculty / Honorary Faculty / Emeritus Professor / Adjunct Faculty at BPSMV may be appointed / engaged as a Chair Professor.
3. **Terms & Conditions**

   Remuneration and period of engagement may be fixed as per terms and conditions of sponsoring agency/donor.

4. **Broad Expectations**

   a. To engage in research and, in turn, contribute to the advancement of knowledge in the area of the study.

   b. To design and execute short-term capacity-building programmes for teachers in higher education focused towards the designated discipline of the Chair.

   c. To publish articles/research papers/reports/books/ monograms.

   d. To participate in teaching and Ph. D. program of the Department or School in which it is located.

VII. FLOATING FACULTY:

1. To meet out the requirement of National Education Policy - 2020 and Choice Based Credit System adopted by the University many courses have been / are being developed cutting across the rigid disciplinary areas. The paucity of relevant expertise is experienced to address the requirement of many such courses having multi-disciplinary nature. The provision of Floating Faculty addresses the issue.
2. The eminent scholars including those who may have retired as professors from this University or any other University or similar Higher Education / Research Institutions in India and abroad are eligible for engagement as floating faculty on contract for a specific period.

3. The Floating Faculty shall not be assigned to any particular department but the incumbent of such posts will serve more than one department based on her/his expertise/experience and workload of the concerned department(s). Dean, Academic Affairs may initiate the process of appointment /engagement of Floating Faculty to address the needs of various departments.
4. Floating Faculty will be provided an honorarium of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lakh Only) per month. A separate budget head be created for engagement of Floating Faculty.
5. **Terms and Conditions**
   a. Guest House accommodation or any other transit accommodation may be provided free of charge by the host University, but food charges would be paid for by the Floating Faculty.
   b. The floating faculty should be appointed for a period of six months at first instance. The tenure may be extended as per requirement.
6. **Broad Expectations**
   a. Floating Faculty will be expected to teach courses directly related to her/his specific expertise and professional experience or the areas of her/his specialization. She/He may also contribute to the institution's activities like counselling of students, developing new course(s) and pedagogical improvements.
   b. Floating Faculty may also be involved in the Ph.D. coursework based on her/his professional and research proficiency adjudged by the concerned institution.

SELECTION CRITERIA:

The Distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Scholar-in-Residence, Adjunct Faculty, Chair Professor and Floating Faculty will be appointed/engaged by the competent authority. The mode of appointment for the above posts is as follows:

1. **By Invitation**

   The Curriculum Vitae of eminent Academicians/ Scientists/ Professionals/ Artists/Administrators with proven credentials in their respective fields identified and recommended by the concerned Department/Centre/Institute/Faculty for engagement shall be placed before the committee comprising of following:

   a. The Vice Chancellor (Chair)
   b. Dean Academic Affairs

c. Dean of the concerned faculty
d. Head of the concerned Department.
e. One External Expert (Nominated by the Vice Chancellor)
f. Registrar (Secretary)

Final recommendations of the committee would be forwarded to the Executive Council for information.

2. On receipt of applications in response to advertisement

The university will place the rolling advertisement on its website for the engagement of Distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Scholars-in- Residence, Adjunct Faculty and Floating Faculty. The applications received in response to the rolling advertisement on the University website shall be examined by committee comprising of following:

a. The Vice Chancellor (Chair)
b. Dean Academic Affairs
c. Dean of the concerned faculty
d. Head of the concerned Department.
e. One External Expert (Nominated by Vice Chancellor).
f. Registrar (Secretary)

The candidates recommended by the committee may be called for interaction with the committee, if required, and the final recommendations of the committee would be forwarded to the Executive Council for information.

3. Selection Procedure for Professor Emeritus:

a. The aspiring Professor Emeritus shall approach the Vice-Chancellor with biodata within 6 months before her/his retirement.
b. The bio-data shall be placed before the committee consisting of the following :
    i. The Vice Chancellor (Chair)
    ii. Dean Academic Affairs
    iii. Dean of the concerned faculty
    iv. Head of the concerned Department.
    v. One External Expert (Nominated by Vice Chancellor).
    vi. Registrar (Secretary)

The final recommendations of the committee would be forwarded to the Executive Council for information.

Note:

The following terms and conditions shall be applicable to Distinguished Visiting Faculty, Honorary Faculty, Visiting Professor, Scholars-in-Residence, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chair Professor and Floating Faculty

- The upper age limit for engagement shall be 70 years. However, in exceptional cases, the monitoring committee, with reasons recorded, may recommend the case up to 75 years.
- All such appointments are independent of faculty strength except in case of Adjunct Faculty.
- The offer of appointment shall be issued by the Establishment Branch.

Monitoring Criteria:

The concerned faculty (Visiting Professor, Scholars-in-Residence, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chair Professor and Floating Faculty) shall submit a report on her/his contribution towards academics/research/corporate life to the Centre/institute/Department/Faculty on annual or tenure basis whichever is earlier. The report shall be considered by committee comprising of following:

i) The Vice Chancellor (Chair)
ii) Dean Academic Affairs
iii) Dean of the concerned faculty
iv) Head of the concerned Department
v) Director, IQAC
vi) Registrar (Secretary)

The continuation/ renewal of concerned faculty is subject to the recommendation of the committee.

BHAGAT PHOOL SINGH MAHILA VISHWAVIDYALAYA
KHANPUR KALAN
"Guidelines for Appointment of Consultants and Advisors"

General Terms and Conditions:

1. The initial engagement of a person(s) as Consultant(s)/Advisor(s) would be for a period of one year or for the period as desired by the University.
2. The review of the contract of the consultant(s)/Advisor(s) will be done on tenure or annual basis whichever is less.
3. The appointment of Consultants/Advisors is of a temporary nature against the specific jobs. The Consultant/Advisor will not be entitled for any benefit/compensation/ absorption/ regularization of service with the University.
4. The university may terminate a contract of a Consultant/Advisor if the Consultant/Advisor:
    a. is unable to address the assigned work
    b. refuses to follow directions/orders of the reporting/controlling officer or Competent Authority.
    c. does not render quality of output on assigned works to the satisfaction of the University.
    d. lacks honesty and integrity;

The University reserves the right to terminate the contract, by giving fifteen days' notice to the Consultant/Advisor. Termination shall be effected by written notice served on the Consultant/Advisor and shall take effect in fifteen days of delivery of such notice. The termination will be without prejudice to either party's rights accrued before termination.

Provided that the University may immediately dispense with the services of a Consultant/Advisor without any notice period if the conduct and activities of such Consultant/Advisor are detrimental to the smooth functioning of the University.

Desirable Expertise, Experience and Age Limit of Consultants/Advisors:

- The Consultant/Advisor should have a desirable expertise as recommended by the concerned Office/Centre/Department/Institute in the specific area for which the University wishes to engage them.
- The experience required in the specified area of expertise for different categories Consultants/ Advisors are as follows:
    i. Advisor - More than 15 years
    ii. Consultant (Junior) - 5-10 years
    iii. Consultant Senior - 10-15 years
    iv. Chief Consultant - More than 15 years

- The Consultant/Advisor should have effective communication and interpersonal skills with a strong flair for in-depth examination of requisite field.
- Normally, the maximum age limit for engagement of Consultants/Advisors will be 70 years. However, in exceptional cases, engagement may be made upto 75 years.

Remuneration: The maximum amount of remuneration payable to Advisor and different categories of Consultants shall be as under:

Category of engagement*	Remuneration **
Advisor	70,000 - 90,000/month
Consultant (Junior)	40,000 - 50,000/month
Consultant (Senior)	50,000 - 70,000/month
Chief Consultant	70,000 - 90,000/month

*The category of engagement and remuneration shall be recommended by the Selection Committee based on the qualification, experience, expertise and achievements of the person concerned.

**In case the nature of assignment requires periodic or intermittent engagement rather than full-time/continuous engagement, the remuneration of Rs. 5000/day may be paid to the Chief Consultant/ Advisor. In such cases, the duration of visit of Chief Consultant/Advisor should not exceed three days in a week. However, TA/DA will be paid for maximum two visits in a month as per entitlement.

Allowances

Consultants shall not be entitled to any kind of allowance or accommodation facility- e.g. Dearness Allowance, Transport facility, Residential Accommodation, Personal Staff and Medical Reimbursement etc. However, outstation Chief Consultant/Advisor may be provided with Faculty House/Transit accommodation free of cost as and when required depending upon the availability of such accommodation with the University. However, they have to pay on account of food charges.

TA/DA

No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. Foreign travel of Consultants/Advisors is not permitted at all. However, should they require to travel inside the country in connection with the official work of the University, TA/DA as admissible as per rules will be paid to him/her after obtaining approval of competent authority.

- Keeping in view the requirement, the concerned Office/Department/Centre/Institute etc. may seek relaxation from the Vice-Chancellor in terms and conditions of engagement. However, the total remuneration (excluding TA/DA) paid in a month shall not exceed the upper limit of monthly remuneration mentioned in the table of remuneration of these guidelines.

Procedure for Selection of Consultants/Advisors:

The Curriculum Vitae of experienced professional with proven credentials in specified area identified and recommended by the concerned Office/Centre/Department/Institute for engagement as Consultant/Advisor shall be placed before the committee comprising of the following:

i) The Vice-Chancellor (Chair)
ii) Senior professor nominated by the Vice-Chancellor
iii) One Internal Expert from concerned Office/Centre/Department/Institute nominated by the Vice-Chancellor
iv) One External Expert in the relevant field (Nominated by Vice Chancellor).
v) Registrar (Member Secretary)

The final recommendations of the committee would be forwarded to the Executive Council for information.

Note:

a. The offer of appointment shall be issued by the Establishment Branch.

b. No consultant/Advisor shall be allowed to join without submitting an undertaking towards acceptance of the terms and conditions as mentioned in the offer letter.

Annexure -23

Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan

Proceedings of the selection committee meeting held on 16.11.2022 for the selection of SDO (Elecctrical) on contract basis.

The following members were present:

1.	Vice- Chancellor, BPSMV Khanpur Kalan	Chairperson
2.	Principal IHL, BPSMV Khanpur Kalan	Member
3.	Registrar, BPSMV Khanpur Kalan	Member

The committee has interviewed the following candidate for the said post as per the eligibility conditions published in the advertisement:

1 Sh. Bhim Sen S/o Sh. Mahajan Ram

After interviewing the above candidate, the committee recommends that Sh. Bhim Sen S/o Sh. Mahajan Ram may be engaged / appointed as SDO (Electrical) on contract basis. The salary / remuneration shall be paid as per rules. The contractual period shall be for one year in first instance.

16/11/22
(Vice- Chancellor)
Chairperson

16/11/2022
(Principal IHL)
Member

16/11/22
(Registrar)
Member

Annexure P-24 18

MSM Institute of Ayurveda

BhagatPhool Singh MahilaVishwavidyalaya

A State University Established by an act of Haryana Legislature &recognised by UGC under section 2 (f) and 12 (b) of the UGC act, 2006.

KhanpurKalan (Sonepat), Haryana-131305, Phone No. – 01263-283629, Email - principalmsmbpsmv@gmail.com

Advt. No. Dec-2017 (DMS,AMO&HO) Dated:-17-12-2017

Vacancy

The first women university in North India, equipped with the latest infrastructure and State-of-Art facilities for the students and the staff, invites application from eligible candidates for Contractual appointment in MSM Institute of Ayurveda for one year.

SN	Name of Post	No. of posts & Category	Qualification	Consolidated fix amount
1.	Deputy Medical Superintendent	01-UR	M.D. (Ayurveda) in Clinical Subject & registered in Ayurveda council of Haryana. Or B.A.M.S. from recognized institutions of CCIM & registered in Ayurveda council of Haryana & 10 yrs. Of Clinical experience should be from the University/ College/ Educational Institution (approved by CCIM)/ Govt./ Semi. Govt./ PSU/ Corporation.	48000/-
2.	Ayurvedic Medical Officer	03-UR	B.A.M.S. from recognized institutions of CCIM & registered in Ayurveda council of Haryana.	20000/-
3.	House Officer	01-UR	B.A.M.S. from MSM Institute of Ayurveda BPSMV passed and completed internship between 1st Nov. 2016 to 31st Oct. 2017 & registered in Ayurveda council of Haryana.	20000/-

Upper Age Limit- 42 years

For any related information kindly visit the University website http://bpsmv.digitaluniversity.ac/. The number of vacancies may vary as per University requirements. The application in prescribed format mention below for the post of DMS/AMO/HO.

All required documents may be sent to the office of Principal MSM Institute of Ayurveda, BPSMV or on email account of principalmsmbpsmv@gmail.com in PDF format only up to 27.12.2017 before 12.00 Noon.

Date of Interview is scheduled on 28.12.2017 at 12.00 Noon onwards. The Candidates are requested to bring the original documents & a set of photocopy at the time of Interview.

The Selection for the post of House officer will be made strictly on the merit basis of aggregate marks of B.A.M.S. Selection for the post of A.M.O and D.M.S. will be on the basis of the selection

criteria as mentioned on website. The University reserves the right to shortlist candidates for interview. Candidates are short listed strictly on the basis of Merit. The list of eligible candidates will be displayed on Notice Board of MSM Institute of Ayurveda & University Website on 27/12/2017 at 07.00 p.m. onwards.

Note: -**The Post sanctioned at Sr. No. 01 is subject to the continuation of Interim order of Hon'ble High Court in CWP No. 8900 of 2017 or till regular appointment whichever is earlier.**

For any **Query/information contact to Principal/office 9416358299 / 01263-283629** respectively.

Form should be fill-up according to format & Criteria. **Principal**

1. Application Format.
2. Criteria for Selection.

Annexure - 25

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent. within the total area of Ayurvedic College as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDIC COLLEGE HOSPITAL STAFF

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
1.	Medical Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Medical Superintendent, it shall continue to exist
2.	Deputy Medical Superintendent	1. the qualification shall be BAMS and PG Degree in clinical subject or BAMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments including Swasthavritta and Yoga Department
4.	Emergency Medical Officers	Two
5.	Resident Medical Officers or Surgical or Medical Officer (RMO or RSO or MO)	Five (One of Kayachikitsa, Two of Prasuti Striroga, One of Shalya-Tantra and One of Kaumarbhrittya)
6.	Matron or Nursing Superintendent	One
7.	Staff Nurses for In Patient Department	One for every ten beds.
8.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
9.	Pharmacists	Two
10.	Dresser	Two
11.	Store Keeper	One
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
13.	Dark-Room Attendant	One
	Modern Medical Staff	
14.	Medical Specialist	One part time or on contract
15.	Surgical Specialist	One part time or on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	One part time or on contract
17.	Pathologist	One part time or on contract
18.	Anaesthesiologist	One part time or on contract
19.	Ophthalmologist	One part time or on contract
20.	Pediatrician	One part time or on contract
21.	Radiologist	One (Postgraduate in Allopathic Radiology on contract or Vikiran Vigyan of Ayurvedic discipline) from teaching department of Shalya
22.	Dentist	One part time or on contract
23.	X-Ray Technician or Radiographer	One
24.	Physiotherapist	One part time or on contract

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
	Staff for Panchakarma Therapy Section for Out-Patient and In-Patient Department	
25.	Panchakarma Specialists	Teachers of Panchakarma teaching department
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Ayurvedic)	One
27.	Panchakarma Nurse	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
28.	Panchakarma Assistant	Two male and Two female
29.	Yoga teacher or expert	One (from Swasthavritta and Yoga Department)
	Staff of Operation Theatre and Ksharsutra Therapy Section	
30.	*Shalya and Ksharsutra Therapy Specialists*	Teachers of Shalya department
31.	*Operation Theatre Attendant*	One
32.	*Nurse*	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
	Labour Room	
33.	*Prasuti evum Stri Roga Specialists*	Teachers of Prasuti evam Striroga department
34.	*Midwife*	One
	Clinical Laboratory	
35.	*Laboratory Technicians*	Two
36.	*Peon or Attendant*	One
	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory	
37.	*Pharmacy Manager or Superintendent*	Teacher of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana
38.	*Peon or Attendant*	One
39.	*Workers*	Two (Need base more number)
40.	*Analytical Chemist (Part time)*	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
41.	*Pharmacognosist (Part time)*	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
	Total: i. For sixty bedded hospital ii. For hundred bedded hospital	Fifty-six excluding teachers of teaching departments as mentioned above Seventy excluding teachers of teaching departments as mentioned above

Note: -

(1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.

(2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.

(3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.

(4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washerman, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.

(5) For conditional permission, minimum eighty per cent. of above hospital staff shall be required.

Annexure - 26

-26

B.P.S. MAHILA VISH DYALAYA

(A State University Recognized Under Sec. 2 (f) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT)

MSM Institute of Ayurveda Date............

Subject:- **Approval for the Selection committee for the Interview for the posts Deputy Medical Supdt.-01, AMO-03 and House Officer (Panchkarma) -01 for contractual appointment for the Six month only.**

As per orders of Hon'ble University Authorities, the proposed date for the Interview for the posts Deputy Medical Supdt.-01, AMO-03 and House Officer (Panchkarma) -01 for Contractual appointments will be held on 28.12.2017 in the office of Principal, MSM Institute of Ayurveda. The last date of receipt of applications is 27.12.2017 before 05.00 p.m. The available applications will be shortlisted as stated in the advertisement (Attached at Annexure-I) strictly on the merit basis.

The proposed selection committee is as under:-

1. Dean, Faculty of Ayurvedic Medicine - Chairperson
2. Nominee of Vice-Chancellor - Member
3. Principal, MSM Institute of Ayurveda - Member, Secretary
4. Dr. Mahesh Dadhich (Senior Professor - Member
5. Dr. Mahendra Sharma (In-Charge D.M.S.) - Member

The same is submitted for kind approval of Hon'ble Vice-Chancellor, please.

It is further submitted that A screening cum document verification committee of the following is also being proposed.

1. Dr. A.P. Nayak - Convener
2. Dr. Pawan Kumar - Member
3. Sh. Mahavir - Member

The committee will screen and verify the documents of the applicants for the above posts.

The same is also submitted for kind approval of the Hon'ble Vice-Chancellor.

The copy of advertisement (Flag – A) and selection criteria for the post of A.M.O. & D.M.S. based on the AYUSH department, Govt. of Haryana (Flag - B) are also being attached for kind consideration & approval. The Selection of House officer will be made on the merit of aggregate marks of B.A.M.S.

The Students of B.A.M.S. of last year (i.e. – passed B.A.M.S. in the session 2016 17) from MSM Institute of Ayurveda will be eligible for applying for the post of House officer.

After approval by the Hon'ble authorities, the advertisement will be published on university website.

Principal

Submitted for kind approval please in the view of minimum 10 days for the receipt of application

URGENT

Worthy Registrar

17/12/17

Approval is strictly as per univ. norms

17/12/17

Principal, Ay.

Registrar (BPSMV)

17/12/17

153

CMIS-817211220017-458 -29-

It is requested to provide the ~~Name~~ of ~~the~~ nominee of the Vice Chancellor, He will also be a member of the selection committee for the Interview/ Selections of AMO, House officer & Dy.M.S. on Contractual Basis

AA-Ayu/17/2621
21-12-17

Hon'ble Vice Chancellor

21/12/17

VC/FM/2918
21/12/17.

Discussed with the Vice-Chancellor telephonically He has desired that Prof Mohinder Chand - HOD - Deptt of Tourism - KUK. will be the nominee of the VC. file be put up again to Confirm the orders of V.C.

27/12/17

Institute of Ayurveda
Dy. No. 2662
Dt. 27-12-17

Principal - Ayurveda.

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec. 2 (f) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Date...............................

MSM Institute of Ayurveda

Subject:- Approval for Contractual appointment for one year to the posts of Deputy Medical Superintendant-01, Ayurveda Medical Officer-03 & House Officer-01 in MSM Institute of Ayurveda.

It is submitted, that the advertisement was made for contractual appointment for one year to the following posts. (Annexure-I)

Inst/Ayu/17/2654
29/12/2017

CVMS-

1. Deputy Medical Superintendant -01
2. Ayurved Medical Officer -03
3. House officer -01

The post of D.M.S. was advertised/Interviewed subject to final decision of court case CWP No.8900 of 2017 or till direct recruitment which ever falls earlier.

The post of House Officer was advertised for one year. The post of AMO was also advertised/Interviewed for one year till any regular recruitment which ever falls earlier.

The interview for the above posts was held on dated 28.12.2017 and the proceedings of the selection are intact in sealed three envelopes.

So you are requested, to open the 03 sealed envelope and approve the proceeding of the selection committee.

Submitted for kind approval please.

Sd/- 28.12.17
Dean, Faculty of Ayurvedic Medicine

Sd/- 28/12/17
Principal

Worthy Registrar (C.L)

The matter has been discussed with W. Registrar over telephone & she has desired to put up a detailed note.

Sd/- 29/12

Principal Ayurveda

Continue

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec. 2 (f) and 12 (B) of the UGC Act 1956)

KHANPUR KALAN (SONEPAT).

Date......

It is submitted that as has already intimated at Np- 3, all the three posts which were advertised on contractual basis belong to Group B (having pay scale of Rs. 9300-34800+5400 GP).

It is clearly mentioned in the University statute 23(3) sub clause (i) which is reproduced as under :

23. (1) All appointments to teaching posts shall be made by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee.

(2) Appointments to Group A posts (non –teaching /technical) shall be made by the Executive Council, on the recommendation of the Establishment/Selection Committee.

(3) (i) Appointments to posts other than Group A shall be made by the Vice Chancellor after complying with the due procedure laid down in the rules or orders.

(ii) Appointments on daily wages in respect of Group C and D employees shall be made by the Registrar after complying with the due procedure laid down in the rules or orders;

(4) **Notwithstanding anything contained in clauses (1), (2) and (3) above, the Vice-Chancellor may, where she considers necessary, make an adhoc or temporary appointment for a period not exceeding six months, if it is not possible or desirable to make regular appointment. Where the appointing authority is the Executive Council, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be reported to the Executive Council in its next meeting.**

Although these above posts were advertised for one year, on a consolidated salary, however, keeping in view of the above clause, it is proposed that the appointment be given only for six months in the first instance which ~~will~~ may be extended, if required later on. The case is submitted to the authorities to kindly consider the case & open envelopes and allow to offer the appointment to the selected candidates as it is very urgent as per the directions of the CCIM to meet out the minimum staff requirement before 31.12.2017, otherwise CCIM affiliation will be cancelled. 'A'

Submitted, please

29.12.17

Principal

MSM Institute of Ayurveda

Registrar (o.c)

Discussed with the Registrar, telephonically, she has desired that the file be submitted to the Vice-Chancellor for approval of the case as proposed by the Principal Ayurveda at 'A' above.

29/12/17

for PA to Registrar

Hon'ble VC

156

Discussed with V.C telephonically. He has desired that the approval is accorded as proposed by Registrar & Principal Ayurveda, keeping in view of the urgency shown by them. File be put up again to confirm the orders of V.C.

29/12
PA/V.C.

Registrar (O.L)

Naren
29/12

Principal Ayurveda — The result is opened before Mr Rajesh and Mr Narender in V.C office on 29.12.17. The name of candidate with designation is as under

Name of Doctor	Designation
A) 1) Dr Teena Kapoor (Selected)	Deputy Medical officer
2) Dr Manoj Kumar (in waiting)	"
B) 1) Dr Monika Devi (Selected)	Ayurvedic medical officer
2) Dr Ritu mallik (Selected)	"
3) ~~Dr Naveen (Selected)~~	"
3) 4) Dr Sachin kumar kansal (waiting-1)	
5) Dr Jyoti (D/o Mohinder) waiting (2)	"
5 Dr Asha (waiting 3)	"
C) Dr Baby (Selected)	House officer.

All the above appointment are for six months. The selected candidates may join their Job after getting the appointment letter. Worthy Registrar madam has ordered ~~is requested~~ to issue appointment letter. The draft letter is herewith attached

B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA

(A State University Recognized Under Sec. 2 (f) and 12 (B) of the UGC Act 1956)
KHANPUR KALAN (SONEPAT)

Date......................

with the Signature of principal, M.S.M Institute of Ayurved at flag-A, B, C, D, E. The appointment letters has been issued to all the concerned quarter. Now the file is re submitted for confirmation of the orders of Hon'ble University authorities please.

Annade
30.12.17

30/12/17

Principal
M.S.M Inst. of Ayurveda.

As Dr Monika Devi (selected AMO no 1) has refused to join her services (Annexure 2), so the waiting candidate no 1 Dr Sachin has issued appointment letter as per urgent requirement of CCIM.

30/12/17

Worthy Registrar

1/1/18

H.V.C.

Seen

2/1/18

Registrar

Principal Ayurveda 2/1/18

Sh. Mahavir

Ref. Ay/17/2658
01-01-18

VIJAYENDRA KUMAR, IAS

D O No 16/36/2016-3GS-II

Secretary to Government Haryana
General Administration Department

Chandigarh.
Dated : the 20-4-2018

Subject:- Regarding implementation of "Equal Pay for Equal Work".

Sir/Madam

I would like to invite your attention towards the D.O. of even No. dated6.4.2018 vide which you were informed that a meeting was held with the representatives of Haryana Karamchari Mahasangh on 19-02-2018 in Haryana Civil Secretariat and one of the issues raised was "equal pay for equal work". The meeting was chaired by Principal Secretary to Chief Minister.

2. The employees union raised the issue that there was hardly any compliance by the Administrative Departments in respect of Government order No. 16/36/2016-3GS-II dated 03.11.2017, in respect of "equal pay for equal work".

3. Your attention is drawn towards para (iii) of instructions issued vide even No. Dated 03.11.2017 wherein a committee has been constituted to look into cases of other categories of employees (i.e. other than those covered in Part II of Outsourcing Policy).

4. It was advised vide D.O. of even No. Dated 6.4.2018 that the Administrative Departments shall examine the cases of other category of employees in respect of "equal pay for equal work" in light of the conditions prescribed in the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 213 of 2013 titled 'State of Punjab Versus Jagjit Singh' on 26.10.2016 and endeavour to decide the cases within the month of April, 2018.

5. I am directed to convey that if the Administrative Departments have any doubts in respect of application of the Supreme Court judgement to any category of employees, they may approach the committee chaired by Chief Secretary, Haryana (constituted vide notification no.16/36/2016-3GSII dated 6.10.2017) before the 30th of April 2018 positively.

Yours sincerely

(Vijayendra Kumar)

To

1. All the Administrative Secretaries of the Government, Haryana.
2. All the Head of Department Haryana.
3. All the Commissioners Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Karnal and Faridabad Divisions.
4. The Registrar Punjab & Haryana High Court Chandigarh
5. All Deputy Commissioners and Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana.
6. President, Haryana KaramchariMahasangh C/o SDO (Const.) HVPN, Rewari.

Sr. No.	Name of the Post Cadre	Existing Scheme	Pre-revised/ Modified	Revised ACP pay structure: Pay Band	Pay Band Code	Grade Pay
1	2	3	4	5		
	(ii) Senior Dental Surgeon	(a) 10000-13900 (Exiting pay scale)	12000-16500	(a) 15600-39100	PB-3	7600
		No specific ACP Scheme is operational now.		(b) 15600-39100 (To such Sr. Dental Surgeon/ Dental Surgeon who have completed 11 yrs of regular satisfactory service or more as Dental Surgeon and above and to such Sr. Dental Surgeon who are direct recruits and have completed 3 yrs of regular satisfactory service or more as such)	PB-3	8000
6.	Ayush Doctors AMO/HMO/UMO	7500-12000 (entry level pay scale)	No Change	(a) 9300-34800 (entry level pay band)	PB-2	4800
		No Specific ACP Scheme is operational now.	8000-13500 (after 7 years of regular satisfactory service in the cadre)	(b) 9300-34800 (after 7 years of regular satisfactory service in the cadre	PB 2	5400
			10000-13900 (after 12 years of regular satisfactory service limited 20%of the cadre post)	(c) 15600-39100 (after 12 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	PB-3	6000
7.	Haryana Veterinary Services	(a)8000-13500 (entry level pay scale)	No Change	(a) 9300-34800 (entry level pay band)	PB-2	5400
		(b) 10000-13900 (after 5 years of regular satisfactory service in the cadre)	No Change	(b) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in the cadre)	PB-3	6000
		(c) 12000-16500 (after 11 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	No Change	(c) 15600-39100 (after 11 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post)	PB-3	7600

Anx-7

Sr. No	Name of the Post/ Cadre	Existing ACP pay structure			Corresponding level of Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016 (₹)
		Pay Band	Pay Band	Grade Pay (₹)	Level of Pay Matrix and First Cell in the applicable level
1	2	3			4
5	Haryana Dental Services				
	(i) Dental Surgeon	(a) 9300-34800 (entry pay band)	PB-2	5400	FPL- -9 (53100)
		(b) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in the cadre)	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)
		(c) 15600-39100 (after 11 years of regular satisfactory service limited to 25% of the cadre post)	PB-3	7600	ACPL -16 (78800)
		(d) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service limited to 20% of the cadre post).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
	(ii) Senior Dental Surgeon	(a) 15600-39100 (entry pay band)	PB-3	7600	FPL-12 (78800)
		(b) 37400-67000 (After 17 years of regular satisfactory service as DS and above and after 6 years as SDS to the Direct SDS's).	PB-4	8700	ACPL -18 (118500)
6	Ayush Doctors				
	AMO/ HMO/ UMO/ DAO/ Asstt. Director	(a) 9300-34800 (entry pay structure of AMO/ HMO/ UMO)	PB-2	4800	FPL-8 (47600)
		(b) 9300-34800 (after 7 years of regular satisfactory service as AMO/ HMO/ UMO)	PB-2	5400	ACPL -12 (53100)
		9300-34800 (entry pay structure of DAO)	PB-2	5400	FPL-9 (53100)
		(c) 15600-39100 (after 5 years of regular satisfactory service in GP ₹ 5400 (12 years as AMO/ HMO/ UMO or 5 years as	PB-3	6000	ACPL -13 (65700)

32.	P.A. to Principal	Rs.9300-34800+ 3600GP	....	Level-6	Level 6
33.	Lab Technician	Rs.9300-34800+ 3600GP		Level-6	Level-6
34.	Radio Grapher	Rs.9300-34800+ 3600GP	--	Level-6	Level-6
35.	Staff Nurse	Rs.9300-34800+ 4200GP	----	Level-6	Level-6
36.	RMO	Rs.9300-34800+ 5400GP	----	Level-10	Level-9
37.	Deputy Medical Supdt.	Rs.9300-34800+ 5400GP	----	Level 10	Level-9
38.	Matron/ Nursing staff	Rs.9300-34800+ 5400GP	----	Level-10	Level-9
39.	LMO	Rs.9300-34800+ 5400GP	----	Level-10	Level-9
40.	AMO	Rs.9300-34800+ 5400GP	----	- Level-10	- Level-9

Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan

S.No	Post/ Designation	As on 01.01.2006 (Revised)	Modified on (if any) with date	Proposed level as on 01.01.2016	Revised Level as on 01.01.2016
1.	Peon	IS-4440-7440+ 1300 G.P.		L-1	DL
2.	Daftri	IS-4440-7440+ 1650G.P.		L-1	DL
3.	Clerk	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-2	L-2
4.	Asstt	PB-2-9300-34800+ 3200 G.P		L-6	L-6
5.	Acctt	PB-2-9300-34800+ 3200 G.P		L-6	L-6
6.	Dy Supdt	PB-2-9300-34800+ 4000 G.P.		L-6	L-6
7.	Lecturer	PB2-9300-34800+ 5400G.P.		L-9	L-9
8.	Senior Lecturer	PB-3-15600-39100+ 6000 G.P.		L-11	L-11
9.	Wksp Instr	PB-2-9300-34800+ 3200 G.P.	9300-34800+ 3600G.P wef 01.04.10	L-6	L-6
10.	Wksp Supdt	PB2-9300-34800+ 5400G.P.		L-9	L-9
11.	DPE/PTI	PB-2-9300-34800+ 4200 G.P.		L-7	L-7
12.	Junior Engg	PB-2-9300-34800+ 4000 G.P		L-6	L-6
13.	Driver	PB-1-5200-20200+ 2400G.P.		L-4	L-4
14.	Library Asstt	PB-1-5200-20200+ 2400 G.P.		L-4	L-4
15.	Junior Library	PB-1-5200-20200+ 2400 G.P.		L-4	L-4
16.	Restorer	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-4	L-2
17.	Store Keeper	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-4	L-2
18.	Lab Attdt (Matric)	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-4	L-2
19.	Hostel Supervisor	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-4	L-2
20.	Type Writer Mechanic	PB-1-5200-20200+ 1900 G.P.		L-4	L-2
21.	Generator Operator	PB-1-5200-20200+ 1900G.P		L-2	L-2
22.	Helper	IS-4440-7440+ 1300 G.P.		L-1	DL
23.	Mali	IS-4440-7440+ 1300		L-1	DL

Schedule I

Pay Matrix

(In ₹)

P -1S, B-4440-7440	PB-1, 5200-20200					PB-2, 9300-34800				PB-3, 15600-39100				PB-4, 37400-67000						HAG
Gr 1650 P (GP-300 & 1400 merged with GP-1650)	1800	1900	2000 (GP-1950 merged with GP-2000)	2400	2800 (GP-2500 merged with GP-2800)	4200 (GP-3600 & 4000 merged with GP-4200)	4600	4800	5400 (GP-5200 merged with GP-5400)	5400	6600 (GP-6000 & 6400 merged with GP-6600)	7600	8000	8700	8800	8900	9500	9800	10000	67000-79000
En 6530 P (pa P +(	7000	7730	8460	9910	11360	13500	17140	18150	20280	21000	25350	29500	33110	46100	46200	46300	46900	47200	47400	67000
In 2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.57	2.57	2.67	2.67	2.67	2.72	2.72
leDL **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16900	18000	19500	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	88400	113500	118700	123600	125200	126000	128900	182200
17400	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	91100	122100	122300	127300	129000	129800	132800	187700
17900	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	93800	125800	126000	131100	132900	133700	136800	193300
18400	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	96600	129600	129800	135000	136900	137700	140900	199100
19000	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	99500	133500	133700	139100	141000	141800	145100	205100
19600	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	102500	137500	137700	143300	145200	146100	149500	211300
20200	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	105600	141600	141800	147600	149600	150500	154000	217600
20800	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	108800	145800	146100	152000	154100	155000	158600	224100
21400	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	112100	150200	150500	156600	158700	159700	163400	
22000	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	115500	154700	155000	161300	163500	164500	168300	

From

The Special Secretary to Govt. of Haryana,
Higher Education Department, Panchkula.

To

The Registrar,
Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya,
Khanpur Kalan (Sonepat)

Memo No. 18/97-15 UNP(2)
Dated: Panchkula, the 25-11-16

Subject:- Creation of posts in Hospital of MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonepat).

Kindly refer to your letter No. BPSMV/EN-I/1645-46 dated 19.7.16 on the subject cited above.

I have been directed to convey you that the State Government has agreed to sanction/ creation of the following posts in Hospital of MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonepat):-

Sr. No.	Name of Posts	Number of posts
1.	Deputy Medical Superintendent	01
2.	Ayurveda Medical Officer	03

This issue is with the concurrence of Finance department vide their UO No. 60/122/2016-2FD-II/32031 dated 22.11.16.

Superintendent UNP
for Special Secretary to Govt. of Haryana,
Higher Education Department, Panchkula.

Endst. No. Even Dated: Panchkula, the

A copy of the above is forwarded to the Principal Secretary to Govt. of Haryana, Finance Department, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh with reference to their UO No. 60/122/2016-2FD-II/32031 dated 22.11.16 for information and necessary action.

Sd/-
Superintendent UNP
for Special Secretary to Govt. of Haryana,
Higher Education Department, Panchkula.

164

B.P.S. MAHILA VISHWAVDIAYALAYA

Khnapur Kalan (Sonipat)

Established by legislative Act 31 and Recognized by UGC under Section 12 (B) and 2 (F) of UGC Act 1956

Ref. No. – Inst/Ayu/17/..556

Dated: -30/12/2017

To

Dr. Teena Kapoor D/o Sh. Tirlok Nath Kapoor
#305, Sarojini Colony,
Yamuna Nagar, Haryana-135001
Ph.-8095611922

Subject:- Contractual appointment for six months to the post of Deputy Medical Supdt. in MSM Institute of Ayurveda.

Memo

Please refer to your application for the post cited above.

1. On the recommendations of the selection committee the University offers you the post of Deputy Medical Supdt in MSM Institute of Ayurveda on consolidated salary of **Rs.48000/-** per month.
2. Your appointment is purely on contractual basis for six months or till decision of court case CWP No.8900 of 2017 or till direct recruitment which ever falls earlier you will get a consolidated salary as mention above, No other allowances or benefits will be given to you.
3. This appointment can be terminated on one month's notice or one month's salary in lieu thereof, from either side.
4. You will abide to perform the duty as per duty roster or and maybe called for duty any time.
5. You will avail the leaves as per University / Govt. rule for contractual employees.
6. Other terms and conditions of your appointment in so far as they are not specified in this letter, will be governed by the rules and regulations of this University, as are framed/made applicable from time to time.

7. You will be required to submit a medical fitness certificate from MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan.
8. You shall not have more than one spouse.
9. Before assuming charge or duties, you will be liable to take an oath of allegiance to the Indian republic.
10. If you accept this offer of appointment, you should report on duty to the Principal MSM Institute of Ayurveda Khanpur Kalan within 07 days from the issue of this letter failing which this offer of appointment will be treated as cancelled.

30-12-17
Principal
for Registrar

Endst. No. Dated: 30/12/2017

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Senior Medical officer, MSM Institute of Ayurveda/Hospital. He is requested that after the medical examination of the above named person, a report to the effect whether or no he/she is medically fit for the University service, may be given to him/her.
2. Finance officer, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonipat)
3. P.A. to V.C.BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Vice-Chancellor.
4. P.A. to Registrar BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Registrar.
5. A.R. Estt-Non-teaching branch, BPSMV, Khanpur Kalan.

Principal

30/12/17

B.P.S. MAHILA VISHWAVDIAYALAYA

Khnapur Kalan (Sonipat)

Established by legislative Act 31 and Recognised by UGC under Section-12 (B) and 2 (f) of UGC Act 1956

Ref. No. – Inst/Ayu/17/553 Dated: - 30/12/2014

To

Dr. Ritu Malik w/o Dr. Parween Kumar Malik
D-28, BPSGMC
Khanpur Kalan
Ph.- 9991847249

Subject:- Contractual appointment for six months to the post of Ayurved Medical Officer in MSM Institute of Ayurveda.

Memo

Please refer to your application for the post cited above.

1. On the recommendations of the selection committee the University offers you the post of Ayurved Medical Officer in MSM Institute of Ayurveda on consolidated salary of **Rs.20000/-** per month.
2. Your appointment is purely on contractual basis for six months or till regular recruitment which ever falls earlier. You will get a consolidated salary as mention above. No other allowances or benefits will be given to you.
3. This appointment can be terminated on one month's notice or one month's salary in lieu thereof, from either side.
4. You will abide to perform the duty as per duty roster or and may be called for duty any time.
5. You will avail the leaves as per University / Govt. rule for contractual employees.
6. Other terms and conditions of your appointment in so far as they are not specified in this letter, will be governed by the rules and regulations of this University, as are framed/made applicable from time to time.
7. You will be required to submit a medical fitness certificate from MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan.
8. You shall not have more than one spouse.

167

9. Before assuming charge or duties, you will be liable to take an oath of allegiance to the Indian republic.

10. If you accept this offer of appointment, you should report on duty to the Principal MSM Institute of Ayurveda Khanpur Kalan within 07 days from the issue of this letter failing which this offer of appointment will be treated as cancelled.

Principal
for Registrar

Endst. No. Dated: 20/12/2017

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Senior Medical officer, MSM Institute of Ayurveda/Hospital. He is requested that after the medical examination of the above named person, a report to the effect whether or no he/she is medically fit for the University service, may be given to him/her.
2. Finance officer, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonipat)
3. P.A. to V.C.BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Vice-Chancellor.
4. P.A. to Registrar BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Registrar.
5. A.R. Estt-Non-teaching branch, BPSMV, Khanpur Kalan.

Principal

168

B.P.S. MAHILA VISHWAVDIAYALAYA

Khnapur Kalan (Sonipat)

Established by legislative Act 31 and Recognized by UGC under Section-12 (B) and 2 (F) of UGC Act 1956

Ref. No. – Inst/Ayu/17/...562 Dated: - 30/12/2017

To

Dr. Sachin Kumar Kansal
Ward No.19,Ram Gali No.1
Baroda Road, Gohana, Sonipat-131305

Subject:- Contractual appointment for six months to the post of Ayurved Medical Officer in MSM Institute of Ayurveda.

Memo

Please refer to your application for the post cited above.

1. On the recommendations of the selection committee the University offers you the post of Ayurved Medical Officer. in MSM Institute of Ayurveda on consolidated salary of **Rs.20000/-** per month.
2. Your appointment is purely on contractual basis for six months or till regular recruitment which ever falls earlier. You will get a consolidated salary as mention above. No other allowances or benefits will be given to you.
3. This appointment can be terminated on one month's notice or one month's salary in lieu thereof, from either side.
4. You will abide to perform the duty as per duty roster or and maybe called for duty any time.
5. You will avail the leaves as per University / Govt. rule for contractual employees.
6. Other terms and conditions of your appointment in so far as they are not specified in this letter, will be governed by the rules and regulations of this University, as are framed/made applicable from time to time.
7. You will be required to submit a medical fitness certificate from MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan.
8. You shall not have more than one spouse.

9. Before assuming charge or duties, you will be liable to take an oath of allegiance to the Indian republic.

10. If you accept this offer of appointment, you should report on duty to the Principal MSM Institute of Ayurveda Khanpur Kalan within 07 days from the issue of this letter failing which this offer of appointment will be treated as cancelled.

30-12-17

Principal
for Registrar

Endst. No. Dated: 30/12/2017

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Senior Medical officer, MSM Institute of Ayurveda/Hospital. He is requested that after the medical examination of the above named person, a report to the effect whether or no he/she is medically fit for the University service, may be given to him/her.
2. Finance officer, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonipat)
3. P.A. to V.C.BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Vice-Chancellor.
4. P.A. to Registrar BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Registrar.
5. A.R. Estt-Non-teaching branch, BPSMV, Khanpur Kalan.

Principal

Sachin

170

B.P.S. MAHILA VISHWAVDIAYALAYA

Khnapur Kalan (Sonipat)

Established by legislative Act 31 and Recognized by UGC under Section-12 (B) and 2 (F) of UGC Act 1956

Ref. No. – Inst/Ayu/17/558 Dated: -20/12/2018-

To

Dr. Naveen w/o Dr. Nitin Sangwan
Sangwan Clinic, Old Bus Stand, Gohana, Sonipat (Hry.)
Ph. - 9728047069

Subject:- Contractual appointment for six months to the post of Ayurved Medical Officer in MSM Institute of Ayurveda.

Memo

Please refer to your application for the post cited above.

1. On the recommendations of the selection committee the University offers you the post of Ayurved Medical Officer in MSM Institute of Ayurveda on consolidated salary of **Rs.20000/-** per month.
2. Your appointment is purely on contractual basis for six months or till regular recruitment which ever falls earlier. You will get a consolidated salary as mention above, No other allowances or benefits will be given to you.
3. This appointment can be terminated on one month's notice or one month's salary in lieu thereof. from either side.
4. You will abide to perform the duty as per duty roster or and may be called for duty any time.
5. You will avail the leaves as per University / Govt. rule for contractual employees.
6. Other terms and conditions of your appointment in so far as they are not specified in this letter, will be governed by the rules and regulations of this University, as are framed/made applicable from time to time.
7. You will be required to submit a medical fitness certificate from MSM Institute of Ayurveda, BPSMV, Khanpur Kalan.
8. You shall not have more than one spouse.

171

9. Before assuming charge or duties, you will be liable to take an oath of allegiance to the Indian republic.

10. If you accept this offer of appointment, you should report on duty to the Principal MSM Institute of Ayurveda Khanpur Kalan within 07 days from the issue of this letter failing which this offer of appointment will be treated as cancelled.

30-12-17

Principal
for Registrar

Endst. No. Dated: 29/12/2017

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Senior Medical officer, MSM Institute of Ayurveda/Hospital. He is requested that after the medical examination of the above named person, a report to the effect whether or no he/she is medically fit for the University service, may be given to him/her.
2. Finance officer, BPSMV, Khanpur Kalan (Sonipat)
3. P.A. to V.C.BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Vice-Chancellor.
4. P.A. to Registrar BPSMV, Khanpur Kalan for kind information of the Registrar.
5. A.R. Estt-Non-teaching branch, BPSMV, Khanpur Kalan.

Principal

C/C

Naveen
29/12/17

172

Annexure 27

(4)

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(IN GENERAL SERVICES-II BRANCH)
No. 16/36/2016-3GS-II

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Harayna
2. All Heads of the Departments of Haryana.
3. Divisional Commissioners, Ambala/Hisar/Rohtak/Gurugram/Faridabad/Karnal Divisions.
4. The Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
5. All the Managing Directors/Chief Administrators of Boards/Corporations/Public Undertakings in Haryana.
6. All the Deputy Commissioners and Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana

Dated Chandigarh, the 03.11.2017

Subject: **Application of "equal pay for equal work" in respect of specified categories of employees**

Sir/Madam,

Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 213 of 2013 titled 'State of Punjab Versus Jagjit Singh' issued judgment dated 26.10.2016 which clarified that the principle of 'equal pay for equal work' constitutes a clear and ambiguous right and is vested in every employee, whether engaged on regular or temporary basis if he qualifies the application of the parameters of the principle of 'equal pay for equal work' as summarised by Hon'ble Supreme Court of India in paragraph 42 of the said judgment.

State Government has considered the matter and decided as under:

i) The principle of 'equal pay for equal work' shall be applicable to the contractual employees subject to application of parameters of the principle of 'equal pay for equal work' as summarised in para 42 of the judgment. In respect of contractual pay, these employees shall be entitled to the minimum of the pay-scale of the categories to which they belong but would not be entitled to any of the allowances attached to the post.

ii) 'Equal pay for equal work' principle shall be initially applied to employees engaged under outsourcing policy Part-II w.e.f. 1.11.2017.

iii) A committee has been constituted vide notification No. 16/36/2016-3GSII dated 6.10.2017 to decide on cases of other categories of employees (i.e. other than those covered in Part II of Outsourcing Policy) to whom this principle of 'equal pay for equal work' shall apply.

2. All the Departments/Boards/Corporations/Autonomous bodies who have engaged manpower under Part-II of the outsourcing policy are advised to apply the principle of 'equal pay for equal work' in respect of employees engaged under Part-II of the outsourcing policy w.e.f. 1.11.2017.

3. In respect of application of the principle of 'equal pay for equal work' to any other category of employees, the concerned Departments/Boards/Corporations/Autonomous bodies may approach the committee constituted for the purpose.

4. This issues with the concurrence of Finance Department vide their U.O. No. 2/33/2017-1FG-I/32793 dated 03.11.2017.

Jagmail Singh
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst. No. 16/36/2016-3GSII Dated Chandigarh, the 03.11.2017.

A copy is also forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars of Universities in the State of Haryana.
2. The MD/HARTRON.
3. The State Informatics Officers (NIC), Haryana Civil Secretariat, Chandigarh for uploading on the websites of the State Government and Chief Secretary's office as well. He is also requested to send this letter by e-mail to all concerned.

Jagmail Singh
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst. No. 16/36/2016-3GSII Dated Chandigarh, the 03.11.2017.

A copy is also forwarded to the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Finance Department w.r.f. their U.O. No. 2/33/2017-1FG-I/32793 dated 03.11.2017 for information and necessary action.

Jagmail Singh
Under Secretary, Protocol
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Annexure -28

119	CWP-8303-2019	RITU MALIK AND OTHERS V/S B.P.S. MAHILA VISHWAVIDYALAYA KHANPUR KALAN AND ANOTHER

Present: Mr. Yesh Paul Malik, Advocate for the petitioners.

***

The petitioners have been selected on contract basis pursuant to the advertisement dated 17.12.2017 (Annexure P-1) on the post of Ayurveda Medical Officer at a salary of Rs.20,000/- per month. They are now seeking direction to the respondent-University to make them payment of minimum of the regular pay scale and not to replace them by another set of contractual employees.

Notice of motion.

Mr. Tribhuvan Dahiya, Advocate puts in apperance on behalf of the University and states that there is no process initiated to replace the petitioners by way of contractual employees. However, he seeks time to get clarification with regard to payment of minimum of the regular pay scale.

List on 15.07.2019.

(RITU BAHRI)
JUDGE

02.04.2019
Divyanshi

BPSMV/LC/19/846
10/9/19

5225
10-9-19

Tribhuvan Dahiya <tribhuvandahiya@gmail.com> Aug 1, 2019, 10:09 AM

to me, registrar

Dear Dr. Kamboj,

Written comments have been received, which are mostly reproduction of the petition itself. Therefore, the following information, which is needed to prepare written statement, my be sent:

1. What is the pay-scale for the post of AMO in Ayurveda?

2. Whether the 3 petitioners were appointed against posts of AMO sanctioned vide letter dated 25.11.2016?

3. What is the reason and basis of prescribing Rs.20,000/- consolidated salary for the AMOs in the advertisement dated 17.12.2017.

4. What was the constitution of selection committee that selected them?

5. What is the constitution of selection committee for making selection for regular permanent post?

6. When is the University going to make regular permanent selection against the posts held by the three petitioners?

7. A copy of the representation sent by the petitioners, mentioned in para 4 of the comments, may also be sent.

Please instruct the concerned to furnish the above information with documents, wherever required, at the earliest.

Please send information on normal sheet/paper. Kindly provide the comments on above points urgently. The file is already in your Institute for information & comments.

10/9/19

Principal (~~Bdy~~ MSMAY) 10/9/19

N.O. LSC/2025/ 12.9.19

176

Tribhuvan Dahiya <tribhuvandahiya@gmail.com>
To: Legal cell bpsmv <legalcellbpsmv@bpswomenuniversity.ac.in>, registrar BPSMV <registrar@bpswomenuniversity.ac.in>

Thu, Aug 1, 2019 at 10:09 AM

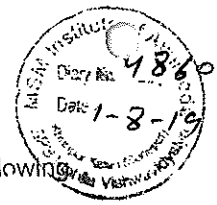

Diary No. 4860
Date 1-8-19

Dear Dr. Kamboj,

Written comments have been received, which are mostly reproduction of the petition itself. Thereforo, the following information, which is needed to prepare written statement, my be sent

1. What is the pay-scale for the post of AMO in Ayurveda?

2. Whether the 3 petitioners were appointed against posts of AMO sanctioned vide letter dated 25.11.2016?

3. What is the reason and basis of prescribing Rs.20,000/- consolidated salary for the AMOs in the advertisement dated 17.12.2017.

4. What was the constitution of selection committee that selected them?

5. What is the constitution of selection committee for making selection for regular permanent post?

6. When is the University going to make regular permanent selection against the posts held by the three petitioners?

7. A copy of the representation sent by the petitioners, mentioned in para 4 of the comments, may also be sent.

Please instruct the concerned to furnish the above information with documents, wherever required, at the earliest.

Regards.
[Quoted text hidden]

No. Legal
Busy.
B-882
1/8/19

Please provide the All Documents

1/8/19.

Principal
MSM Ayurveda
1/8/19

N.D. (SC) 00500

177

Annexure - 29

BPS Women University

LegalCell bpsmv <legalcellbpsmv@bpswomenuniversity.ac.in>

Re: CWP 8303 of 2019 Dr. Ritu Malik and Ors. Vs. BPSMV

Tribhuvan Dahiya <tribhuvandahiya@gmail.com> Tue, Nov 24, 2020 at 2:11 PM
To: LegalCell bpsmv <legalcellbpsmv@bpswomenuniversity.ac.in>
Cc: Tribhuvan Dahiya <office.tribhuvandahiya@gmail.com>

Dear Dr. Pawan,

As informed, the incumbent AMOs have been appointed on sanctioned posts pursuant to the prescribed selection process for contractual appointments, and are performing duties similar to the ones being performed by their regularly appointed counterparts, as is reflected in the para-wise comments furnished on the petition.

It has also been informed that there was no rationale/basis for fixing their remuneration at Rs.20,000/- per month. The minimum scale payable to regularly appointed AMOs is higher than the remuneration fixed for these contractual appointees.

Therefore, as per settled law on the subject, the AMOs should be paid salary equivalent to the minimum of pay scale meant for the posts they have been appointed against.

Regards.

[Quoted text hidden]

2073, Sector 21, Panchkula-134117 India.
Cellphone +91-9316133863.

--
Regards.

TRIBHUVAN DAHIYA